राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25-03-2026 की कार्यसूची

सत्यमेव जयते
उत्तराखण्ड राज्य

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25–03–2026 के एजेण्डा की विषय सूची :–

क्र. सं.	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 01–10–2024 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन।	1
2	2	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गए परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदन ।	1-3
3	3	(1) मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–82 में दिए गए प्राविधान अनुसार हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक मोटर कैब/मैक्सी कैब/ठेका बस के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुल 2311 मामलों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन।	4-5
		(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–79, 90, 101, 108, 110, 129, 141, 244, 266, PSTP 2160 के हस्तान्तरण के कुल 10 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।	
		(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक की अवधि में सहारनपुर–चकराता मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–163 के हस्तान्तरण के कुल 01 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।	
		(4) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक की अवधि में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–71, 72, 75, 80, 83, 87, 101, 102, 120, 122, 123, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 277, 278 PSTP 1497, 1548, 1554, UK2020-SC-0134A के नवीनीकरण के कुल 29 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।	
		(5) श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंगी लाल, ग्राम लंगुरी, पोस्ट जमेली, पौड़ी गढ़वाल के प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2026 पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा आदेशों पर अनुमोदन।	

4	4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–8796/2025–26 दिनांक 25–10–2025 के क्रम में निजी स्कूल बसों का किराया निर्धारित करने विषयक।	5-32
5	5	श्री आनन्द यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव पता 66 म्युनिसिपल मार्केट, नवाबी रोड चौराहा, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी के प्रत्यावेदन दिनांक 21–11–2025 पर विचार व आदेश।	32-34
6	6	श्री महेश्वर प्रसाद निवासी–386/396 चुक्खुवाला, देहरादून एवं श्री जुगलकिशोर , निवासी–47 नींबुवाला एवं चुक्कुवाला, देहरादून द्वारा परमिट संख्या–UK/111/CC/MOTOR/2019/625-626-627-628-629 पर निरस्त करने हेतु देय विलम्ब शुल्क माफ किये जाने विषयक।	34-35
7	7	श्री अभिनव रस्तोगी पुत्र श्री संजीव रस्तोगी, 36 शक्ति विहार, कुमार स्वीट शॉप के पास, माजरा, देहरादून द्वारा मोटरकैब योजना, 1989 के अर्न्तगत मोटरकैब किराये पर देने हेतु लाईसेंस जारी करने विषयक।	36-37
8	8	(1) मै0 न्यू श्रीराम ट्रैवल्स U/C श्री मुकेश जोशी एवं श्रीमती कविता जोशी, नथुवावाला, देहरादून के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 20–12–2024 पर विचार व आदेश।	39-40
		(2) मै0 पहाड़ीएक्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड U/C श्री गोपाल सिंह गरबयाल एवं सुश्री माधुरी गारबयाल, घटधार, धारचूला पिथौरागढ़ के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 20–09–2025 पर विचार व आदेश।	41-42
		(3) मै0 ग्रीन सैल प्राइवेट लिमिटेड, निकट सत्यनारायण मंदिर, मौहब्बेवाला, देहरादून के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 26–11–2025 पर विचार व आदेश।	43-44
		(4) M/S TAPITO BIKE TAXI Pvt. Ltd., 12, पता कमलेश्वर मार्ग, निकट आईटीआई कॉलेज, भटवाड़ी, उत्तरकाशी के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांकरहित प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।	45-46
		(5) मै0 मानसकेदार प्राइवेट लिमिटेड, 94 त्यागी रोड़, एमडीडीए, देहरादून, उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित	47-48

		नियमावली, 2024 के अन्तर्गत दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांकरहित प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।	
9	9	श्री दीप चन्द्र पांडे, बी–54, जेके पुरम बी ब्लॉक, मुखानी, हल्द्वानी के ई–मेल पत्र दिनांक 23.11.2025 का प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।	49-50
10	10	(1) श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रविकान्त गर्ग निकट पुल नं0–1, डॉक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून का प्रत्यावेदन दिनांक 17–11–2025 एवं श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 पर विचार व आदेश।	50-52
		(2) श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 पर विचार व आदेश।	53
11	11	देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर एवं सहबद्ध मार्ग के मंजिली गाडी परमिट हेतु स्वयंमेव प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।	54-56
12	12	अन्य मद अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।	56

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25–03–2026 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 01–10–2024 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गए परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदन :–

(क) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87, 88 (8) एवं 88 (9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिट :–

क्र0 सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बसों के चार माह की अवधि हेतु जारी किये गये सवारी गाड़ी परमिटों के अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर संख्या।	349
2	मुरादाबाद–काशीपुर–रामनगर एवं सहबद्ध मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	12
3	नगीना–काशीपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परर्मिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	134
4	सहारनपुर–विकासनगर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	435
5	मुजफ्फरनगर–सहारनपुर के सहबद्ध मार्ग गागलहेडी–धौलचौरा–भगवानपुर–इकबालपुर–रूड़की पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	132

(ख) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक जारी किए गये समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों, स्टैज कैरिज के स्वीकृत/नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या :–

क्र0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब जारी स्थाई परमिट।	9946
2	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब जारी स्थाई परमिट।	529
3	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के जारी स्थाई परमिट।	672
4	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	1595
5	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या।	207
6	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	75
7	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब के जारी स्थाई परमिट।	5433
8	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के जारी स्थाई परमिट।	508
9	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के जारी स्थाई परमिटों की संख्या।	204
10	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	630
11	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या	235
12	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	23
13	स्टैज कैरिज के जारी किये गये परमिटों की संख्या।	34
14	स्टैज कैरिज के नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या।	328
15	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्टैज कैरिज के नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या।	301

(ग) मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88(6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी स्थायी सवारी/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में

संचालन हेतु प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक विभिन्न प्रदेशों के 1130 सवारी/जनभार वाहनों के प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

(घ) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक की अवधि में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर/मैक्सी कैब/ठेका बस/स्टैज कैरिज परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त 6261 एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त 563 प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

(च) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारत एवं नेपाल देश के मध्य सम्पन्न हुये परिवहन करार के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक मै0 भेरी यातायात प्रा0 लि0 के नेपालगंज–रूपेडिया–हरिद्वार मार्ग के वाहन संख्या–Lu2Kha6495, Lu2Kha6497, Bhe1Kha4169, Lu2Kha6492, Lu2Kha6493, Lu2Kha6494, Lumbini-GAA 0069, Lumbini-GAA 0070, Bhe1Kha 4169, Lumbini-GAA 0084, Lumbini-GAA 0085, Lumbini-GAA 0086, Bhe1Kha4481 महाकाली यातायात बस व्यवसायी कम्पनी (प्रा0) लि0 के महेन्द्रनगर–देहरादून के वाहन संख्या–Na8Kha1953, Na7Kha5952, Na7Kha5951, Na7Kha5949, Na7Kha3434, Na7Kha3432, Su.Pa.Pra.02-001kha 1083 मै0 पवनदूत बस व्यवसायी कम्पनी प्रा0 लि0 के महेन्द्रनगर–देहरादून मार्ग के वाहन संख्या–Su.Pa.Pra.02-001kha 944, Su.Pa.Pra.02-001kha 945, मै0 त्रिसिधेश्वरी राप्ती यातायात प्रा0 लि0 के नेपालगंज–हरिद्वार मार्ग के वाहन संख्या–Lu.Pra.02-01 Kha 0385, Lu.Pra.02-01 Kha 0386, Lu.Pra.02-01 Kha 0387, Lu.Pra.02-01 Kha 0388, Lu.Pra.02-01 Kha 0389, Lu.Pra.02-01 Kha 0390, Lu.Pra.02-01 Kha 0391 को जारी प्रतिहस्ताक्षर परमिटों का अनुमोदन।

(छ) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत जारी लाईसेंस संख्या–528 से 681 तक (कुल 154 लाईसेंस) का अनुमोदन।

मद संख्या–03

(1) मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–82 में दिए गए प्राविधान अनुसार हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक मोटर कैब/मैक्सी कैब/ठेका बस के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुल 2311 मामलों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–79, 90, 101, 108, 110, 129, 141, 244, 266, PSTP 2160 के हस्तान्तरण के कुल 10 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक की अवधि में सहारनपुर–चकराता मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–163 के हस्तान्तरण के कुल 01 मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

(4) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 01–09–2024 से 28–02–2026 तक की अवधि में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–71, 72, 75, 80, 83, 87, 101, 102, 120, 122, 123, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 277, 278 PSTP 1497, 1548, 1554, UK2020-SC-0134A के नवीनीकरण के कुल 29 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंगी लाल, ग्राम लंगुरी, पोस्ट जमेली, पौड़ी गढ़वाल के प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है:–

''मेरी वाहन संख्या–यूके15टीए1273 है, जिसका परमिट 07.01.2026 को समाप्त हो गया है। महोदय मैं उक्त परमिट को रिन्यूल कराना चाहता हूँ। वाहन पर जो चालान हुए है मेरे द्वारा उनका भुगतान कर दिया गया है। आपसे

निवेदन है कि उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के चालान अन्य राज्य में हुए हैं उन चालानों का जो शुल्क एसटीए कार्यालय में प्रत्येक चालान 500 रूपये जमा कराया जाता है। कृपा कर अन्य राज्य के चालानों का शुल्क ना जमा कराया जाये। आपसे निवेदन है मेरे वाहन पर 23 चालान दिखा रहा है कृपा मुझे छूट प्रदान कर मेरी आर्थिक स्थिति सही नही है। मेरे पर कुछ बोझ कम पड़े।''

प्रकरण पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

''मात्र उत्तराखण्ड राज्य के चालानों का संज्ञान लें। अन्य राज्यों के चालान सम्बन्धित राज्यों में प्रशमित किये जा चुके हैं तथा धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु Reported नहीं है।''

कृपया उक्त आदेशों पर अनुमोदन।

मद संख्या–04

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–8796/2025–26 दिनांक 25–10–2025 के क्रम में निजी स्कूल बसों का किराया निर्धारित करने विषयक।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या–161 श्री जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 22–09–2025 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं :–

"The Transport Commissioner may submit a report to this Court on the recommedation of the Director, Secondary Education dated 25.11.2024"

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुक्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या–8796/2025–26 दिनांक 25–10–2025 के माध्यम से प्रदेश के निजी स्कूल बसों का किराया निर्धारित करते हुये आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में कार्यालय द्वारा पत्र संख्या–4731/विधि/याचिका/161/पी0आई0एल0/2025 दिनांक 28–10–2025 के माध्यम से श्री राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में यात्री किराया एवं मालभाडे की दरों में वृद्धि विषयक पूर्व में गठित समिति से ही प्रदेश के निजी स्कूल बसों का किराया निर्धारित

करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। समिति द्वारा निजी स्कूल बसों के परिवहन शुल्क निर्धारण विषयक निम्नलिखित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

1. समिति द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं सम्बन्धित मोटरयान नियमावलियों, विधियों में शिक्षण संस्था बसों से सम्बन्धित प्राविधानों यथा–शिक्षण संस्थान बस की विधिक स्थिति, वाहन की श्रेणी, संचालन हेतु परमिट, लाईसेंस फीस की अनिवार्यता, संचालन का उद्देश्य आदि विषय से सम्बन्धित प्राविधान पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं सम्बन्धित नियमावलियों में शिक्षण संस्था बस से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैः–

   (क) निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्कूल बस मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2(11) में उल्लिखित शिक्षण संस्थान बस के अन्तर्गत परिभाषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त परिभाषा का निम्नवत् उल्लेख किया जाता हैः–

   ''शिक्षण संस्था बस'' से ऐसी कोई बस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में, विद्यार्थियों और कर्मचारीवृन्द के परिवहन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता हैः"

   (ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2(47) में परिवहन यानों को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के अन्तर्गत परिवहनयान की श्रेणी में सार्वजनिक सेवायान, मालयान के साथ–साथ शिक्षण संस्था बस या प्राईवेट सेवायान को भी सम्मिलित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त परिभाषा का निम्नवत् उल्लेख किया जाता हैः–

   ''परिवहन यान'' से कोई सार्वजनिक सेवा यान, माल वाहन, शिक्षा संस्था बस या प्राईवेट सेवायान अभिप्रेत हैः"

   (ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 2(33) प्राइवेट सेवायन को निम्नवत् परिभाषित किया गया है।

   ''प्राइवेट सेवा यान'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो छह से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अन्तर्गत ड्राईवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से, भाड़े या पारिश्रमिक से अन्यथा उसके व्यापार या कारबार के लिए, या उसके सम्बन्ध में, व्यक्तियों का

वहन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किन्तु इसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटर यान नहीं है:

(घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 76 में निजी सेवायान के लिए परमिट के आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी मोटरयान का प्राईवेट सेवायान के रूप में उपयोग करने के लिए परमिट हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली विशिष्टिओं का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् उल्लिखित है:–

76(2) *किसी मोटरयान का प्राईवेट सेवायान के रूप में उपयोग करने के परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जायेगी अर्थात्*

(क) यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान

(ख) उस मार्ग या उन मार्गों का क्षेत्र जिनमें आवेदन सम्बन्धित है

(ग) वह रीति जिससे यह दावा किया गया है आवेदक द्वारा भाड़े पर या पारिश्रमिक से भिन्न अथवा उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के सम्बन्ध में व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन यान द्वार पूरा किया जाएगा और

(घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं

2. उपरोक्त परिभाषाओं एवं विधिक प्राविधानों के सम्यक् अध्ययन से स्पष्ट है कि स्कूल बस/शिक्षण सेवा बस निजी सेवायान की श्रेणी में आने वाला परिवहन यान है, जिसके संचालन के लिए निजी सेवायान श्रेणी के अन्तर्गत परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। परिवहन यान सेवा की परिभाषा से स्पष्ट है कि परिवहन यान 06 से अधिक व्यक्तियों के वहन करने के लिए अनुकूलित ऐसा यान है, जिसके वाहन स्वामी द्वारा उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए अथवा उसके सम्बन्ध में व्यक्तियों के वहन करने के लिए प्रयोजन में लाया जाता है। उक्त परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि प्राईवेट सेवायान लोक प्रयोजन की सेवा में लाया जाने वाला यान नहीं है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह स्वयं में सिद्ध है कि शिक्षण संस्था बस भाड़े या पारिश्रमिक में संचालित नहीं हो सकती।

3. उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि शिक्षण संस्था बस के संचालन हेतु प्राईवेट सेवायान के रूप में परमिट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे परमिट के आवेदन के समय निजी सेवायान के स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा उस रीति का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत भाड़े या पारिश्रमिक से भिन्न उसके व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन पूरा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि वाहन स्वामी को निजी सेवायान हेतु परमिट आवेदन के समय यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वह प्रस्तावित निजी सेवायान में अपने कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों के परिवहन हेतु भाड़े या पारिश्रमिक से भिन्न कोई परिवहन शुल्क/मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है अथवा नहीं और यदि इस प्रकार का कोई परिवहन शुल्क/मेटेनेन्स चार्ज ले रहा है तो उसे लिये जाने की रीति एवं दर का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

4. उपरोक्त प्राविधानों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि शिक्षण संस्था बसों का संचालन स्कूल प्रबन्धन द्वारा भाड़े या पारिश्रमिक में नहीं किया जाता वरन् शिक्षण संस्था बसों के संचालन का उद्देश्य नो–प्रोफिट नो–लॉस के आधार पर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मोटरयान अधिनियम, 1988 के "परिवहन यानों का नियंत्रण" नामक शीर्षक के अध्याय 5 की धारा 96 में इस अध्याय के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। धारा 96 (2) के अन्तर्गत उन विषयों की सूची प्रदान की गयी है, जिन पर पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन दी गयी समस्त बातों या उनमें से किसी के बाबत राज्य सरकार नियम बना सकेगी। उक्त धारा की उपधारा–2 में दी गयी सूची के क्रम संख्या xxx एवं xxxiib में निम्न विषय दिये गये हैंः–

(xxx) परिवहन यानों और उनकी अन्तर्वस्तुओं तथा उनमें सम्बन्धित परमिटों का निरीक्षण

(xxxiib) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराये का संवर्धन तथा भीड़भाड़ को निवारित करना

5. उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार शिक्षण सेवा बस के परमिट को विनियमन करने हेतु तथा परिवहन शुल्क को प्रतिस्पर्धी बनाने यात्री सुरक्षा एवं सुविधा के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार रखती है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित बसों हेतु परिवहन शुल्क/मेंन्टन्स चार्ज हेतु नियम बनाने की शक्ति रखती है।

6. निजी स्कूल की "शिक्षण संस्था बस" का मासिक परिवहन शुल्क उस के संचालन एवं प्रबन्धन पर होने वाले मासिक व्यय पर निर्भर करता है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थाओं से व्यापक

विचार–विमर्श एवं उनके पक्ष से सम्बन्धित तथ्यों के संग्रहण के उद्देश्य से दिनांक 31–10–2025 को वी0सी0 के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त वी0सी0 बैठक में लगभग 100 से अधिक शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में उपस्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों/स्वामियों से शिक्षा संस्था की बस के संचालन में बस पर होने वाले व्यय एवं परिवहन शुल्क के निर्धारण में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं लिये जाने वाले आधारों का विवरण मांगा गया। शिक्षण संस्था द्वारा बस पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना के संग्रहण के उद्देश्य से समस्त शिक्षण संस्थाओं को इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित कर उपलब्ध कराया गया। अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा वांछित सूचनायें निर्धारित प्रारूप में समिति को उपलब्ध करायी गयी।

7. शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अध्ययन से समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा बस के संचालन एवं प्रबन्धन पर होने वाले मासिक व्यय के आधार पर परिवहन शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार लिये जाने वाले मासिक परिवहन शुल्क की गणना प्रति सीट पर होने वाले मासिक संचालन व्यय के आधार पर की जा रही है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा तथ्यों/आकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षण संस्था बसों के संचालन में होने वाले मासिक व्यय के प्रमुख घटक निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मद
1	औसत वाहन मूल्य
2	मासिक किश्त पर व्यय
3	चालक मासिक वेतन पर व्यय
4	परिचालक का मासिक वेतन/महिला गार्ड पर व्यय
5	मोटरयान कर पर मासिक व्यय
6	अनुरक्षण पर मासिक व्यय
7	बीमा पर मासिक व्यय
8	ईंधन पर मासिक व्यय
9	परमिट पर व्यय
10	फिटनेस पर व्यय
11	अन्य व्यय

8. उपरोक्त मासिक संचालन व्यय घटकों के अतिरिक्त छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुपालन में शिक्षण संस्था बसों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित किया जाता है। इस आधार पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) के इन्स्टॉलेशन पर किये जाने वाले व्यय को भी शिक्षण संस्था के प्रबन्धन एवं संचालन में किये जाने वाले मासिक व्यय में किया जाना उचित होगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) इन्स्टॉलेशन पर किया गया व्यय एक बार किये गये व्यय की श्रेणी में आता है। समिति उपरोक्त मदों पर व्यय को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपयुक्त मानकर इस आधार पर मासिक व्यय की गणना करने पर सहमत है।

9. वर्तमान में विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अध्ययरत छात्र–छात्राओं से परिवहन शुल्क मासिक आधार पर प्रति छात्र द्वारा की गयी यात्रा के आधार पर लिया जा रहा है। स्पष्ट है कि परिवहन शुल्क के निर्धारण हेतु प्रत्येक सीट हेतु औसत संचालन व्यय को आधार मानकर छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी के आधार पर परिवहन शुल्क निर्धारित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान बसों हेतु परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने सम्बन्धी शासनादेशों का अध्ययन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परिवहन अनुभाग– 4 के शासनादेश संख्या–8/2021/1946/तीस–4–2021 दिनांक 28–12–2021 द्वारा 42 सीट वाली स्कूल बस हेतु क्षमता को 42 + 5 = 47 सीट की क्षमता मानकर, वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार वर्ष लेते हुए प्रति सीट मासिक अनुरक्षण व्यय रू0 1648 निर्धारित किया गया है। तद्पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन यात्रा के आधार पर अनुरक्षण व्यय लिये जाने हेतु 0–5 कि0मी0, 5–10 कि0मी0 एवं 10 से अधिक कि0मी0 दूरी हेतु 03 स्लैब निर्धारित करते हुए, परिवहन शुल्क अनुरक्षण व्यय के क्रमशः 50, 100 एवं 125 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय में वृद्धि हेतु निम्न सूत्र दिया गया हैः–

$$\text{अ} + \frac{\text{ब} + \text{स}}{\text{न}}$$

उक्त सूत्र में–

अ का तात्पर्य ''वर्ष 2020–21 में वर्तमान अनुरक्षण व्यय''

ब का तात्पर्य '' स्टाफ के वेतन आदि के मद के खर्च में वृद्धि''

स का तात्पर्य ''वाहन के खर्च पर वृद्धि, जिसमें (ईंधन, सुरक्षा उपकरण, वाहन का बीमा, कर एवं मूल्य ह्रास आदि)''

न का तात्पर्य ''औसतन एक स्कूल बस में विद्यार्थियों की संख्या''

टिप्पणीः– जिला स्तरीय ''जिला विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति'' द्वारा अपनी प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में होने वाली बैठक में उपरोक्त सूत्र के आधार पर अनुरक्षण व्यय का प्रति वर्ष निर्धारण किया जायेगा।

10. स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 को आधार वर्ष मानते हुए, शिक्षण संस्था बसों के मासिक संचालन/अनुरक्षण व्यय के आधार पर दूरियों के स्लैब के अनुसार अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष में संचालन व्यय में होने वाली वृद्धि के लिए स्टाफ के वेतन आदि के मद तथा वाहन के खर्च में वृद्धि जिसमें (ईंधन, सुरक्षा उपकरण, वाहन का बीमा, कर एवं हास आदि)'' एवं औसतन एक स्कूल बस में विद्यार्थियों की संख्या को आधार बनाया गया है।

11. यह समिति भी शिक्षण संस्था बसों के मासिक संचालन/अनुरक्षण व्यय व बस की औसत सीटिंग क्षमता के आधार पर बस के प्रत्येक सीट हेतु औसत मासिक संचालन व्यय आंकलित कर छात्र–छात्राओं द्वारा तय की गयी दूरी के विभिन्न स्लैब के आधार पर मासिक परिवहन शुल्क निर्धारण किये जाने पर एकमत है।

12. समिति शिक्षण संस्था बसों के मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु व्यय के प्रमुख घटकों पर विभिन्न क्षेत्रों/स्त्रोतों से उपलब्ध/प्राप्त तथ्यों/आकडों पर व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त प्रत्येक घटक हेतु निम्नवत् गणना किये जाने पर सहमत हैः–

(1) शिक्षण संस्थान वाहन के बस का औसत मूल्य–

समिति द्वारा बाजार में टाटा, आयशर, महिन्द्रा सदृश्य विनिर्माताओं की 30 से 50 सीट तक स्कूल बस के मूल्यों के सम्बन्ध में अधिकृत डीलरों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का व्यापक अध्ययन किया गया। अधिकांशतः 40 सीटर निजी शिक्षण संस्था /स्कूल बस का औसत मूल्य 15 से 35 लाख के मध्य है। इस सम्बन्ध में समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं प्राप्त समस्त तथ्यों/आंकडों/सूचनाओं का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण

संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु शिक्षण संस्थान वाहन के औसत मूल्य हेतु रू0 30.00 लाख का आधार मूल्य लेने पर एकमत है।

(2) वाहन की मासिक किश्त पर व्यय–

समिति द्वारा 40 सीटर शिक्षण संस्था बस/स्कूल बस का औसत मूल्य रू0 30.00 लाख आधार लिया गया है। स्कूल प्रबन्धन द्वारा प्रायः 10–20 प्रतिशत तक डाउनपेमेंट कर शेष राशि हेतु वाहन ऋण लेकर वाहन का क्रय किया जाता है। समिति डाउनपेमेंट की धनराशि हेतु कुल वाहन के मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत का आधार लेने में एकमत है। इस प्रकार वाहन ऋण की धनराशि रू0 25.50 लाख आंकलित होती है। वाहन ऋण अधिकतम 07 वर्ष की अवधि के लिए ही अनुमन्य है। इस ऋण राशि हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में 9–11 प्रतिशत के मध्य ब्याज की दर प्रभावी है। समिति शिक्षण संस्था बसों की मासिक किश्त गणना हेतु 10 प्रतिशत की दर को आधार दर मानकर ऋण के समान मासिक किश्त की गणना करने में एकमत है। रू0 25.50 लाख ऋण राशि, 07 वर्ष की अवधि एवं 10 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर एस0बी0आई0 के वाहन ऋण एप के माध्यम से मासिक किश्त की गणना करने पर मासिक किश्त की धनराशि रू0 42333 की आंकलित होती है। समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त आंकडों/सूचनाओं का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वाहन की मासिक किष्त पर व्यय हेतु रू0 42333 की धनराशि का आधार लेने पर एकमत है।

(3) शिक्षण संस्था बस के चालक के मासिक वेतन पर व्यय–

समिति द्वारा शिक्षण संस्था बसों में संयोजित चालकों को देय मानदेय/वेतन के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण किया गया। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न परिवहन संगठनों, वाहन स्वामियों व वाहन चालकों, प्राईवेट प्राविधिक संस्थायें विशेषकर स्कूल बसों के चालकों, परिचालकों व स्कूल प्रबन्धनों से वार्ता भी की गयी। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा बसों के चालकों के वेतन के सम्बन्ध में आंकड़ों/ सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण संस्था बसों में संयोजित चालकों को रू0 12000–22000 के मध्य वेतन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या–301(1)/टप्प्/ 24–228(श्रम)/2001–पार्ट–प्प दिनांक 15–03–2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड में निजी कोचिंग कक्षाओं/निजी विद्यालयों जिसमें नर्सरी

स्कूल एवं प्राईवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित है, के नियोजन मे नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण हेतु दरें निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना में निर्धारित तालिका के बिन्दु संख्या–3 में बस/ट्रक ड्राईवर हेतु देय न्यूनतम मासिक दर रू0 13110 प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। समिति का यह मत है कि शिक्षण संस्था बस चालन एक अति कुशल एवं दक्षता युक्त कार्य है। उक्त कार्य में व्यापक अनुभव, उच्च स्तरीय चालन कौशलता के साथ–साथ छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के प्रति उच्च स्तरीय सुरक्षा बोध की भी आवश्यकता है। इस आधार पर समिति अधिसूचना संख्या–301(1)/VIII/24–228(Je)/2001–पार्ट–II दिनांक 15–03–2024 के आधार पर निर्धारित निजी शिक्षण संस्थान के बस चालकों हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन रू0 13110 को व्यवाहरिक न मानते हुए इस धनराशि में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करना उचित पाती है। 40 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त उक्त धनराशि रू0 18000 के आस–पास आंकलित होती है। समस्त पक्षों से वार्ता करने एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु स्कूल बस चालक के मासिक वेतन पर व्यय हेतु रू0 18000 प्रतिमाह की धनराशि को उचित मानती है।

(4) परिचालक/महिलागार्ड के वेतन पर मासिक व्यय–

समिति द्वारा शिक्षण संस्था बसों में संयोजित परिचालकों/महिला गार्ड को देय मानदेय/वेतन के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण किया गया। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न परिवहन संगठनों, वाहन स्वामियों व वाहन परिचालकों विशेषकर स्कूल बसों के परिचालकों व स्कूल प्रबन्धनों से वार्ता भी की गयी। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा बसों के परिचालकों के वेतन के सम्बन्ध में आंकड़ों/सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण संस्था बसों में संयोजित चालकों को रू0 8000–12000 के मध्य वेतन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या– 301(1)/VIII/24–228(श्रम)/2001–पार्ट–II दिनांक 15–03–2024 का अध्ययन किया गया जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड में निजी कोचिंग कक्षाओं/निजी विद्यालयों जिसमें नर्सरी स्कूल एवं प्राईवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित है, के नियोजन मे नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण निर्धारण किया गया। उक्त अधिसूचना में निर्धारित तालिका के बिन्दु संख्या–1 में आया (समतुल्य महिला गार्ड) हेतु देय न्यूनतम मासिक दर रू0 12391 प्रतिमाह

निर्धारित की गयी है। इस आधार पर समस्त पक्षों से वार्ता करने एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु परिचालक/महिला गार्ड के मासिक वेतन पर व्यय हेतु मासिक वेतन की दर रू0 12500 प्रतिमाह की धनराशि को उचित मानती है।

(5) मोटरयान कर पर मासिक व्यय–

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–19/IX–1/2024–106/2012 दिनांक 09–02–2024 में शिक्षण संस्था बसों हेतु त्रैमासिक दर = 115.5 प्रति सीट निर्धारित की गयी है। इस दर पर 40 सीटर शिक्षण संस्था बस का मोटरयान कर पर मासिक व्यय निम्नानुसार आंकलित किया गया।

शिक्षण संस्था बस हेतु त्रैमासिक कर की दर	=	115.5 प्रति सीट
40 सीटर वाहन हेतु त्रैमासिक कर पर व्यय–115.5 × 40	=	रू0 4620
मासिक व्यय–4620/3	=	रू0 1540

समस्त पक्षों से वार्ता करने एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु स्कूल बस की औसत सीटिंग क्षमता 40 मानते हुए मोटरयान कर पर मासिक व्यय हेतु रू0 1540 प्रतिमाह की धनराशि को उचित मानती है।

(6) मासिक अनुरक्षण–

स्कूल बस के अनुरक्षण में टायर की घिसावट, रूटीन सर्विसिंग व कल पुर्जों का रिप्लेसमेंट (समय–समय पर) सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर रंग–रोगन, ईंजन ऑयल, बैटरी रिप्लेसमेंट, ब्रैक आदि कल पुर्जों की मरम्मत/रिप्लेसमेंट सम्मिलित है। समिति ने इस सम्बन्ध में स्कूल बस प्रबन्धकों, मरम्मत कार्मिकों, गैराज संचालकों आदि से वार्ता की गई। शिक्षण संस्था बसों के अनुरक्षण/मरम्मत पर व्यय, वाहन की आयु, मॉडल, तकनीकी दशा, चालन कौशलता, संचालित मार्ग की दशा आदि पर निर्भर करती है। उक्त आधारों पर भिन्न–भिन्न शिक्षण संस्था बसों के मासिक अनुरक्षण व्यय की धनराशि भिन्न–भिन्न हो सकती है। अनुरक्षण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी घटकों पर होने वाले व्ययों की सटीक गणना व्यावाहरिक रूप से संभव नहीं है।

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा बसों के मासिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्रेषित आंकड़ों/सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण संस्था बसों के मासिक अनुरक्षण में रू0 5000–15000 के मध्य व्यय किया जा रहा है। समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वाहन की मासिक अनुरक्षण दर व्यय हेतु रू0 8000 की धनराशि को आधार लेने पर एकमत है।

(7) बीमा पर मासिक व्यय–

समिति द्वारा विभिन्न निर्माताओं की रू0 15–35 लाख मूल्य की 40 सीटर स्कूल बस के वार्षिक बीमा प्रीमियम धनराशि का अध्ययन किया गया। विर्निर्माताओं/वाहन डीलरों तथा विभिनन शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित सूचनाओं/आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रू0 15–35 लाख मूल्य के शिक्षण संस्था बस का वार्षिक प्रीमियम का औसतन मूल्य रू0 40000 से 60000 के मध्य है। समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वार्षिक बीमा पर व्यय रू0 55000 के आधार बीमा पर मासिक व्यय रू0 4583 का आधार लेने पर एकमत है।

(8) वाहन के ईंधन पर मासिक व्यय–

वाहन के ईंधन पर मासिक व्यय की गणना हेतु शिक्षण संस्था बसों का मासिक औसत संचालन एवं शिक्षण संस्था बसों के संचालन से प्राप्त माईलेज/कि0मी0 प्रति लीटर एवं ईंधन के मूल्य का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा उक्त तीनों घटकों का आंकलन निम्नवत् किया गया हैः–

(क) औसत मासिक संचालन–

संस्थाओं द्वारा प्रेषित आंकड़ों/सूचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्कूल बस का प्रतिदिन औसत संचालन 25 कि0मी0 से अधिकतम 50 कि0मी0 के मध्य है। कुछ शिक्षण संस्था बसों का प्रतिदिन संचालन 80–100 कि0मी0 तक भी है, किन्तु यह स्थिति अपवादिक है। अपवादिक स्थिति को छोड़कर समिति इस मद के व्यय हेतु अधिकतम संचालन को गणना का आधार बनाने की इच्छुक है, ताकि किसी विपरीत परिस्थिति में किसी बस के अधिक संचालन के कारण स्कूल प्रबन्धन को हानि की स्थिति का

सामना न करना पड़े। अतः समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक संचालन पर व्यय की गणना हेतु प्रतिदिन 50 कि0मी0 के औसत संचालन को आधार मानती है।

(ख) शिक्षण संस्था बसों का प्रति लीटर प्राप्त ईंधन माईलेज–

समस्त 40 सीटर शिक्षण संस्था बसें डीजल ईंधन द्वारा चालित होती है। विभिन्न निर्माताओं की विभिन्न मॉडल्स् की शिक्षण संस्था बसों का क्लेम्ड (Claimed) माईलेज 4 कि0मी0 से 7 कि0मी0 प्रति लीटर के मध्य है। उक्त क्लेम्ड माईलेज आदर्श स्थिति में प्राप्त किया जाता है। धरातलीय स्थिति में वाहन कुशलता, वाहन की आयु, मॉडल, तकनीकी दशा एवं संचालन मार्ग की गुणवत्ता आदि ईंधन माईलेज को प्रभावित करते हैं। अतः धरातलीय स्थिति में विनिर्माताओं द्वारा क्लेम्ड माईलेज प्राप्त होना संभव नहीं है। समिति मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु निजी शिक्षण बस हेतु 5 कि0मी0/ली0 के ईंधन माईलेज को आधार लेने में सहमत है।

(ग) प्रयुक्त ईंधन एवं उसका मूल्य–

समस्त 40 सीटर शिक्षण संस्था बसें डीजल ईंधन द्वारा चालित होती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य तेल उत्पादक सप्लायर/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे डीजल ईंधन का मूल्य 85–90 प्रति लीटर के मध्य है। समिति ईंधन पर मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु डीजल ईंधन के प्रतिलीटर हेतु रू0 90 प्रति लीटर डीजल मूल्य का आधार लेने में एकमत है।

(घ) मासिक संचालन दिवस–

सामान्यतः 01 माह में 4–5 रविवार का साप्ताहिक अवकाश होता है। इसके अतिरिक्त एक माह में औसतन 2–3 अन्य अवकाश भी होते हैं। उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, समिति मासिक संचालन दिवस हेतु एक माह में 24 दिन के संचालन दिवस को आधार मानने में एकमत है।

उपरोक्त तथ्यों/गणना के आधारों पर निजी शिक्षण संस्था बस के मासिक संचालन पर ईंधन पर मासिक व्यय निम्नवत् आंकलित किया जा रहा हैः–

(क) औसत प्रतिदिन संचालन– 50 कि0मी0

(ख) शिक्षण संस्था बसों का प्रति कि0मी0 हेतु प्रयुक्त ईंधन माईलेज– 5 कि0मी0/ली0

(ग) प्रयुक्त ईंधन एवं उसका मूल्य– रू0 90 प्रति लीटर (डीजल)

(घ) मासिक संचालन दिवस– 24 दिन

ईंधन पर मासिक व्यय =

$$\frac{\text{प्रतिदिन औसत संचालन} \times \text{मासिक संचालन दिवस} \times \text{प्रयुक्त ईंधन का मूल्य}}{\text{माईलेज / संचालन प्रति लीटर}}$$

ईंधन पर मासिक व्यय =

$$\frac{50 \times 24 \times 90}{5} = 21600$$

ईंधन पर मासिक व्यय = रू0 21600

समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वाहन ईंधन पर मासिक व्ययके लिए रू0 21600 धनराशि को आधार लेने पर एकमत है।

(9) सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना पर मासिक व्यय–

शिक्षण संस्था बस में सी0सी0टी0वी0 (न्यूनतम 02 कि0मी0) स्थापित कैमरे का व्यय रूपये 8000 से 15000 तक होता है। उक्त व्यय एक बारीय होता है। समिति उक्त व्यय को 05 वर्ष के लिए गणना करने हेतु एकमत है। समिति द्वारा बाजार मूल्य का अध्ययन किया गया। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न वैंडरों से भी वार्ता की गई। बाजार सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित पक्षों से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षण संस्था बस में सी0सी0टी0वी0 (न्यूनतम 02 कि0मी0) स्थापित कैमरे का व्यय रूपये 8000 से 15000 के मध्य है। उक्त व्यय को 05 वर्ष हेतु 60 माह में विभक्त कर मासिक संचालन व्यय आंकलित किया जाना है। समस्त पक्षों से वार्ता करने एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना पर मासिक व्यय की

गणना हेतु सी0सी0टी0वी0 पर एक बारीय व्यय को रू0 15000 के आधार पर मासिक व्यय हेतु रू0 250 का आधार लेने पर एकमत है।

(10) वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) की स्थापना पर मासिक व्यय–

उक्त व्यय एक बारीय होता है। समिति उक्त व्यय को 05 वर्ष के लिए गणना करने हेतु एकमत है। समिति द्वारा बाजार मूल्य का अध्ययन किया गया। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न वैंडरों से भी वार्ता की गई। बाजार सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित पक्षों से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षण संस्था बस में वी0एल0टी0डी0 (टमीपबसम स्वबंजपवद ज्तंबापदह क्मअपबम) की स्थापना पर व्यय रूपये 6000 से 8000 के मध्य है। उक्त व्यय को 05 वर्ष हेतु 60 माह में विभक्त कर मासिक संचालन व्यय आंकलित किया जाना है। समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वी0एल0टी0डी0 (टमीपबसम स्वबंजपवद ज्तंबापदह क्मअपबम) स्थाापित किये जाने पर रू0 8000 को पांच वर्ष हेतु एक बारीय व्यय के आधार पर मासिक व्यय हेतु रू0 133 की धनराशि को आधार लेने पर एकमत है।

(11) वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) का चार्जिंग मासिक शुल्क–

वाहनों में वी0एल0टी0डी0 (टमीपबसम स्वबंजपवद ज्तंबापदह क्मअपबम) लगाये जाने के उपरान्त वाहन पर स्थापित वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) को प्रतिमाह चार्ज करना होता है, जिस हेतु लगभग रू0 300–रू0 500 तक प्रतिमाह का व्यय होता है। समस्त पक्षों से वार्ता करने एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बसों के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) चार्जिंग शुल्क पर मासिक व्यय हेतु रू0 500 धनराशि का आधार लेने पर एकमत है।

(12) परमिट पर मासिक व्यय–

शिक्षण संस्था बस निजी सेवायान है, जिसे संचालन हेतु निजी सेवायान का परमिट लेना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड मोटयायन नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निजी प्राईवेट सेवायान के परमिट हेतु फीस रू0 3600 निर्धारित है, जो कि 05 वर्ष हेतु वैध है। इसके अतिरिक्त परमिट के साथ रू0 500 आवेदन शुल्क एवं रू0 100

कोर्ट शुल्क भी देय है। इस प्रकार परमिट पर कुल व्यय 3600+500+100= 4200 रू0 है। उक्त व्यय 05 वर्ष के लिए है, इस आधार पर परमिट पर मासिक व्यय 4200/60 = 70 रू0 आंकलित होता है।

समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु परमिट पर मासिक व्यय रू0 70 की धनराशि का आधार लेने पर एकमत है।

(13) फिटनेस पर मासिक व्यय–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में मध्यम व भारी वाहन के लिए फिटनेस फीस मैनुअल प्रक्रिया में रू0 600 एवं ए0टी0एस0 (।नजवउंजमक ज्मेजपदह ब्मदजतम) के माध्यम से रू0 1000 निर्धारित है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत नयी वाहन जो कि वाहन निर्माता द्वारा फुली बिल्ट ;निससल इनपसजद्ध श्रेणी के अन्तर्गत निहित है को पंजीयन की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक मुक्त रखा गया है। 02 वर्ष के पश्चात् ऐसी वाहन को 02–02 वर्ष के लिए पुनः फिटनेस करायी जानी आवश्यक है, जिसकी वैद्यता 02 वर्ष होती है। 08 वर्ष के पश्चात् वाहन को प्रतिवर्ष फिटनेस प्राप्त करना अनिवार्य है। चैसिस पर निर्मित नयी वाहन को पंजीयन की तिथि से ही फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसी फिटनेस की वैद्यता 02 वर्ष के लिए होती है। 08 वर्ष के पश्चात् वाहन को प्रतिवर्ष फिटनेस प्राप्त करना अनिवार्य है। समिति का यह मत है कि अधिकांश शिक्षण संस्था बस निर्माताओं द्वारा फुल बिल्ड श्रेणी के लिए निर्मित होती है तथा ऐसे वाहनों की व्यवाहरिक संचालन आयु लगभग 15 वर्ष होती है।

समिति ने यह भी संज्ञान लिया गया है कि भविष्य में सभी परिवहन यानों की फिटनेस अनिवार्य रूप से ए0टी0एस0 (Automated Testing Centre) के माध्यम से ही सुनिश्चित है। अतः समिति फिटनेस पर मासिक व्यय की गणना हेतु केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के माध्यम से होने वाली फिटनेस हेतु देय फिटनेस शुल्क रू0 1000 के आधार पर वाहन की फिटनेस के मासिक व्यय की गणना करने पर एक मत है। प्रथम 08 वर्ष में ऐसी वाहन को 03 बार फिटनेस करानी होगी उसके पश्चात् 9–15 वर्ष तक प्रतिवर्ष फिटनेस कराने पर 07 बार फिटनेस शुल्क का भुगतान करना होगा। इस प्रकार 15 वर्ष की संचालन अवधि हेतु एक स्कूल बस को कुल 10 बार फिटनेस करानी होगी। इस प्रकार रू0 1000 प्रति फिटनेस की दर से कुल 15 वर्ष की अवधि के लिए 10 फिटनेस जांच हेतु कुल रू0 10000 फिटनेस शुल्क का भुगतान करना होगा।

15 वर्ष हेतु 10 फिटनेस पर व्यय = 10000

15 वर्ष हेतु मासिक आधार पर कुल फिटनेस = 10000 / 180

फिटनेस पर मासिक शुल्क = 55.55 रू0 मासिक।

समस्त पक्षों से वार्ता करने के पश्चात् एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त समिति शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना हेतु फिटनेस पर मासिक व्यय हेतु रू0 55.55 की धनराशि का आधार लेने पर एकमत है।

(14) उक्त आंकलन के आधार पर निजी शिक्षण संस्था बसों का मासिक औसत संचालन व्यय निम्नवत् आंकलित होता है:–

क्र0 सं0	औसत मासिक संचालन व्यय	धनराशि रू0 में	अभियुक्ति
1	मासिक किश्त पर व्यय	42333	स्कूल बस का औसत मूल्य 30.00 लाख डाउनपेमेंट 15 प्रतिशत एवं ब्याज की दर 10 प्रतिशत व ऋण अवधि 07 वर्ष के आधार पर मासिक किश्त की गणना की गयी है।
2	चालक मासिक वेतन पर व्यय	18000	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों व श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 15–03–2024 के आधार पर।
3	परिचालक का मासिक वेतन / महिला गार्ड पर व्यय	13000	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों व श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 15–03–2024 आधार पर।
4	मोटरयान कर पर मासिक व्यय	1540	उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम / नियमावली, 2003 की अधिसूचनाओं एवं नियमों में शिक्षण संस्था

			बस द्वारा प्रतिसीट निर्धारित मोटरयान कर के आधार पर।
5	अनुरक्षण पर मासिक व्यय	8000	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
6	बीमा पर मासिक व्यय	4583	प्रमुख विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
7	ईंधन पर मासिक व्यय	21600	50 कि0मी0 प्रतिदिन (आना–जाना सहित) संचालन की दर से कुल 24 दिवस हेतु 1200 कि0मी0 संचालन हेतु 5 कि0मी0 प्रति लीटर की माईलेज दर एवं ईंधन का मूल्य रू0 90 के आधार पर ईंधन पर मासिक व्यय की गणना की गयी है।
8	सी0सी0टी0वी0 कैमरे की स्थापना	250	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
9	वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) की स्थापना पर मासिक व्यय	133	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
10	वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) के नवीनीकरण पर मासिक व्यय	500	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
11	परमिट पर व्यय	70	उत्तरखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी सेवायान हेतु निर्धारित परमिट फीस के आधार पर।
12	फिटनेस पर व्यय	55.55	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में मध्यम एवं भारी वाहनों हेतु निर्धारित फिटनेस शुल्क के आधार पर।

13	अन्य व्यय	500	ऐसा कोई व्यय जो उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है, यथा–अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पार्किंग, टोल इत्यादि।
कुल मासिक व्यय		**110565**	

(15) शिक्षण संस्थान बसों हेतु मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने के लिए शिक्षण संस्था बस के मासिक संचालन व्यय की गणना कर उसे प्रति सीट के आधार पर विभक्त करना आवश्यक है। इस आधार पर प्रत्येक छात्र–छात्रा पर व्यय किये जाने वाला मासिक संचालन व्यय ज्ञात किया जा सकता है तथा इसी आधार पर प्रत्येक विद्यार्थियों हेतु मासिक परिवहन शुल्क की गणना की जा सकती है। इसके लिए निजी शिक्षण संस्था बसों में औसत सीट की संख्या को आधार बनाया जाना उचित होगा। उपरोक्त प्रस्तर 14 पर आंकलित शिक्षण संस्था बस के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना शिक्षण संस्था/स्कूल बस का औसत मूल्य रू0 30.00 लाख के आधार पर आंकलित किया गया है। उक्त मूल्य सीमा के अन्तर्गत बाजार में विभिन्न विनिर्माताओं की 40–50 सीटर बसें उपलब्ध है। अतः प्रति सीट मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु 40–50 सीटिंग क्षमता की निजी शिक्षण स्कूल बसों को आधार मानकर औसतन 45 सीटिंग क्षमता के आधार पर प्रतिसीट मासिक संचालन व्यय की गणना किये जाने पर समिति एकमत है। प्रतिसीट मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु उपरोक्तानुसार आंकलित औसत मासिक संचालन को 45 सीट से विभक्त कर प्रति सीट औसत संचालन व्यय की गणना निम्नवत् की जानी हैः–

प्रतिसीट मासिक औसत संचालन व्यय = 110565/45 = 2457 रू0

(16) शिक्षण संस्थान बसों के अनुरक्षण/संचालन व्यय उपरोक्त घटकों का अध्ययन करने पर समिति इस तथ्य पर सहमत है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित निजी शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्था बसों के अनुरक्षण/मरम्मत पर मैदान के सापेक्ष अधिक व्यय होता है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित निजी शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्था बसों पर ईंधन का व्यय/माइलेज प्रति कि0मी0 कम होता है, जिसके फलस्वरूप ईंधन पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है। इस आधार पर समिति एकमत से मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली शिक्षण संस्थान बसों हेतु 10 प्रतिशत अधिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति करती है।

(17) अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र–छात्राओं के परिवहन शुल्क हेतु पूरे वर्ष का शुल्क लिया जाता है तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा 11 अथवा 10 माह का परिवहन शुल्क लिया जाता है। समिति के समक्ष विभिन्न अभिभावक शिक्षक संघों एवं अन्य स्तरों से यह मांग प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं की बसों हेतु परिवहन शुल्क निर्धारित करने के साथ–साथ स्कूलों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष परिवहन शुल्क लिये जाने पर भी विचार कर उपयुक्त नीति निर्धारित करें। अधिकांश अभिभावक संघों का यह मत है कि शिक्षण संस्थायें वर्ष में 10 माह से अधिक संचालित नहीं होती है, इसी आधार पर शिक्षण संस्था बसें भी वर्ष में अधिकतम 10 माह ही संचालित होती है, ऐसे में सम्पूर्ण 12 माह का परिवहन शुल्क वसूल किया जाना से उचित नहीं है। इस विषय पर आयोजित बैठक पर स्कूल प्रबन्धकों के साथ वार्ता कर उनका पक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया। स्कूल प्रबन्धन के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि शिक्षण बस वर्ष में 10 माह से अधिक संचालित नहीं होती है किन्तु स्कूल प्रबन्धन को वाहन की मासिक किश्त, चालक एवं परिचालक का मासिक वेतन, कर, अनुरक्षण व्यय, बीमा, सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) आदि पर व्यय सम्पूर्ण वर्ष करना होता है। 02 माह वाहन का संचालन न होने पर केवल ईंधन पर व्यय के अतिरिक्त सभी व्यय करने होते हैं। यदि सम्पूर्ण वर्ष में विद्यालय की अवकाश अवधि में, जो कि लगभग 02 माह की होती है, उसमें चालक/परिचालक का वेतन न दिया जाये, तो इस अवकाश अवधि में चालक, परिचालक एवं उनके परिजनों के जीवन यापन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। समिति उक्त तथ्य से सहमत है। शिक्षण संस्था बसों के संचालन एवं प्रबन्धन पर होने वाले व्यय के प्रमुख घटकों का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षण संस्था बसों के प्रबन्धन एवं संचालन पर होने वाले मासिक व्यय का 20–25 प्रतिशत भाग ईंधन पर व्यय होता है। यदि वर्ष में 02 माह शिक्षण संस्थाओं बसों के असंचालन के आधार पर मासिक परिवहन शुल्क पर छूट दिये जाने पर विचार किया जाना हो, तो भी केवल ईंधन पर होने वाले व्यय को ही इस सम्बन्ध में आधार बनाया जा सकता है। उक्त आधार पर समिति शिक्षण संस्थाओं हेतु वर्ष में मासिक बन्दी (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश) की स्थिति में कुल संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क में 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति करती है।

(18) बिन्दु संख्या–7 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक शिक्षण संस्था बस के संचालन हेतु प्राईवेट सेवायान के रूप में परमिट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे परमिट के आवेदन के समय निजी सेवायान के स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा उस रीति का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना अनिवार्य है। जिसके अन्तर्गत भाड़े या पारिश्रमिक से भिन्न उसके व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन पूरा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा निजी सेवायान के परमिट हेतु आवेदन करते समय यह स्पष्ट घोषित किया जाना आवश्यक है कि वह प्रस्तावित निजी सेवायान में अपने कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों के परिवहन हेतु भाड़े या पारिश्रमिक से भिन्न कोई परिवहन शुल्क/मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है अथवा नहीं और यदि इस प्रकार का कोई परिवहन शुल्क/मेटेनेंस चार्ज ले रहा है तो उसे लिये जाने की रीति एवं दर का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। इस आधार पर समिति यह संस्तुति करती है कि प्रत्येक निजी सेवायान के लिए परमिट हेतु आवेदन के साथ वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवहन किये जाने वाले व्यक्तियों/छात्र–छात्राओं से जिस रीति एवं दर से परिवहन शुल्क/मेंन्टेनेंस चार्ज लिया जाना प्रस्तावित है, उसके सम्बन्ध में एक नोटराइज्ड शपथ–पथ प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाये। इसके अतिरिक्त परमिट हेतु ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्था बसों हेतु निर्धारित परिवहन शुल्क से अधिक परिवहन शुल्क वसूल न किये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा। इस तथ्य को निजी सेवायान/शिक्षण संस्था के परमिट की मूल शर्तों में सम्मिलित किया जाना तथा इसके उल्लंघन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के आधार पर परमिट के निलम्बन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने का विनियमन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विनियमन राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों (जिसका विवरण बिन्दु संख्या–07 में पूर्व में दिया गया है) के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(19) इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परमिट जारी किये जाने वाले प्राधिकरण को परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगाये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है। सम्बन्धित प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा शिक्षण संस्था बसों को परमिट जारी करते समय अतिरिक्त परमिट शर्त अधिरोपित की जा सकती है। इस आधार पर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले

परमिट में निर्धारित परिवहन शुल्क के अनुसार ही अधिकतम मासिक परिवहन शुल्क लिये जाने की अतिरिक्त शर्त परमिट में अधिरोपित की जा सकती है। समिति उक्त अतिरिक्त शर्त को अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ–साथ उक्त शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित अधिकतम परिवहन शुल्क से अधिक परिवहन शुल्क वसूलने वाले निजी सेवायान/शिक्षण संस्था बसों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे शिक्षण संस्था बसों के परमिट के विरूद्ध निलम्बन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही करने की संस्तुति भी करती है।

(20) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परिवहन अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–8/2021/1946/तीस–4–2021 दिनांक 28–12–2021 द्वारा 42 सीट वाली स्कूल बस हेतु क्षमता को 42 + 5 = 47 सीट की क्षमता मानते हुए, वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार वर्ष लेते हुए अनुरक्षण व्यय रू0 1648 निर्धारित किया गया है। तद्पश्चात् विद्यार्थियों से अनुरक्षण व्यय लिये जाने हेतु 0–5 कि0मी0, 5–10 कि0मी0 एवं 10 कि0मी0 से अधिक दूरी हेतु 03 स्लैब निर्धारित करते हुए, मासिक परिवहन शुल्क को मासिक अनुरक्षण व्यय के क्रमशः 50, 100 एवं 125 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय में वृद्धि हेतु वाहन के ईंधन एवं अनुरक्षण व्यय पर वृद्धि, स्टाफ के वेतन पर व्यय में वृद्धि एवं शिक्षण संस्था बसों में औसत छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय में वृद्धि हेतु सूत्र दिया गया है। उक्त प्रस्तावित सूत्र की सीमा यह है कि वार्षिक वृद्धि की गणना हेतु दिये गये आधार पर स्टाफ के वेतन आदि एवं बीमा ईंधन, सुरक्षा उपरकणों के व्यय पर हुई वृद्धि एवं एक स्कूल बस में औसतन विद्यार्थियों की संख्या ऐसे घटक है, जिसकी सटीक गणना किया जाना व्यवाहरिक रूप से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए स्टाफ के वेतन पर व्यय एव स्कूल बस में औसतन विद्यार्थियों की संख्या ऐसे घटक है, जिनका शिक्षण संस्था द्वारा अपने व्यवसायिक हितों के लिए अनुरक्षण व्यय में वृद्धि के लिए गणना में दुरूपयोग किया जा सकता है। अतः उक्तानुसार निर्धारित मासिक अनुरक्षण व्यय में समय–समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यवसायिक सभी वाहनों के किराया निर्धारण के साथ–साथ शिक्षण संस्था बसों के संचालन/अनुरक्षण व्यय में भी वृद्धि किये जाने की संस्तुति करती है।

(21) उपरोक्त तथ्यों/गणना एवं सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त यह समिति शिक्षण संस्था बसों हेतु निम्न मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित करने की संस्तुति करती हैः–

निजी शिक्षण संस्था/स्कूल बस हेतु मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु समिति की संस्तुति (प्रति छात्र)

क्र0 सं0	प्रत्येक छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिदिन संचालित किये जाने वाली दूरी (कि0मी0)	आंकलित मासिक संचालन व्यय (रू0) में	मासिक संचालन व्यय के सापेक्ष संस्तुत परिवहन शुल्क (प्रतिशत में)	संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क प्रति छात्र (रू0) में
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	1 से 10 तक	2457	90 प्रतिशत	2200
2	10 से 20 तक	2457	110 प्रतिशत	2700
3	20 से 30 तक	2457	130 प्रतिशत	3200
4	30 से अधिक	2457	150 प्रतिशत	3700

नोट–

1– संचालित दूरी में विद्यार्थियों की आने–जाने (To and From) की दूरी सम्मिलित है।

2– विद्यालय के मासिक बन्दी (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) की स्थिति में कुल संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क का 75 प्रतिशत धनराशि ही ली जायेगी।

3– यदि मासिक संचालन का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ता है, तो स्कूल प्रबन्धन को निर्धारित मासिक परिवहन शुल्क से 10 प्रतिशत अधिक मासिक परिवहन शुल्क अनुमन्य होगा।

4– स्कूल प्रबन्धन द्वारा आउटसोर्स के आधार पर विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त स्लैबवार निर्धारित दर का 20 प्रतिशत अधिक परिवहन शुल्क अनुमन्य होगा।

5– स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्स पर विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में निर्धारित अधिकतम मासिक परिवहन शुल्क से अधिक शुल्क आउटसोर्स सेवा प्रदाता द्वारा नहीं लिया जायेगा।

6– किसी भी स्थिति में मासिक परिवहन शुल्क अग्रिम रूप से वसूल नहीं किया जायेगा।

7– स्कूल प्रबन्धन को प्रतिमाह वसूल किये जाने वाले निर्धारित अधिकतम मासिक शुल्क की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह अभिभावकों/विद्यार्थियों को दिया जाना अनिवार्य होगा तथा मोटरयान यान विभाग/परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांग किये जाने की दशा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

8– स्कूल प्रबन्धन को प्रत्येक शिक्षण संस्था बसों के संचालन का रूट/स्टॉपेज/प्रत्येक स्टॉपेज की दूरी एवं प्रत्येक स्टॉपेज हेतु निर्धारित अधिकतम मासिक परिवहन शुल्क उसको नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित अनिवार्य होगा, जो किसी भी दशा में निर्धारित अधिकतम मासिक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्कूल वैन (स्कूल टैक्सी/मैक्सी कैब) के परिवहन शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समिति की आख्याः–

समिति के संज्ञान में यह भी है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम– 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा 12 सीट से कम श्रेणी के ऐसे यात्री वाहन (मोटर कैब/मैक्सी कैब) जो शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को संस्था तक लाने और ले जाने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, को मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। ऐसी वाहनों को सामान्य बोलचाल में स्कूल वैन कहा जाता है। उत्तराखण्ड के बड़े शहरों यथा– देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल आदि में बड़ी संख्या में ऐसी वाहनों का संचालन किया जाता है। ऐसी वाहनों को भी शिक्षण संस्था बसों की भाँति अनिवार्य रंग (पीला) में रंगा जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों का प्रयोग शिक्षार्थियों को विद्यालय से लाने–ले–जाने का कार्य किया जाता है। ऐसे वाहनों हेतु भी मासिक आधार पर परिवहन शुल्क लिया जाता है। वर्तमान तक स्कूल वैन द्वारा लिये जा रहे परिवहन शुल्क हेतु कोई भी नीति/दर निर्धारित नहीं की गयी है। समिति के समक्ष कई अभिभावकों/संघों ने यह मांग की है कि शिक्षण संस्था बसों की भांति स्कूल वैनों द्वारा लिये जा रहे परिवहन शुल्क हेतु भी नीति व दर निर्धारित किये जाने का समिति संज्ञान ले। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा समस्त स्कूल प्रबन्धकों के साथ वीडियों कॉफ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक की गयी। स्कूल संचालकों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड स्कूल वैन एसोसिएशन से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियों कॉफ्रेन्सिंग में उत्तराखण्ड स्कूल वैन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा स्कूल वैन हेतु

मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध करते हुए वाहनों का मासिक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नवत् विवरण प्रस्तुत किया गया है :–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	पैट्रोल	10000
2	इंश्योरेंस	2250
3	टैक्स	705
4	मैंटिनेंस	2000
5	बैंक स्टॉलमेंट	11000
6	सैलरी	14000
कुल		**37955**
7	जी0पी0एस0	5500
8	कैमरा	4500
9	रिनुअल	350
कुल		**10305**
महायोग		**48305**

2– उत्तराखण्ड स्कूल वैन एसोसिएशन द्वारा स्कूल वैन संचालन हेतु दिये गये मासिक व्यय का समिति द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन के उपरान्त वर्तमान बाजारी मूल्य/प्रचलित मूल्य के साथ–साथ व्यवहारिक पहलुओं का भी अध्ययन करते हुए, स्कूल वैन हेतु मासिक औसत संचालन व्यय निम्नवत् आंकलित होता है:–

क्र0 सं0	औसत मासिक संचालन व्यय	धनराशि (रू0) में	अभियुक्ति
1	मासिक किश्त पर व्यय	11000	वर्तमान में बाजार में 6 लाख से 10 लाख तक की स्कूल वैन वाहन उपलब्ध है। समिति द्वारा स्कूल वैन का औसत मूल्य 7.00 लाख एवं ब्याज की दर 10 प्रतिशत व ऋण अवधि 07 वर्ष के आधार पर मासिक किश्त की गणना की गयी है।
2	चालक मासिक वेतन पर व्यय	14000	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार

			सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों व श्रम विभाग की अधिसूचना दि0 15–03–2024 के आधार पर।
3	मोटरयान कर पर मासिक व्यय	1275	उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम/ नियमावली, 2003 की अधिसूचनाओं एवं नियमों में शिक्षण संस्था वैन द्वारा प्रतिसीट निर्धारित मोटरयान कर के आधार पर।
4	अनुरक्षण पर मासिक व्यय	2000	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
5	बीमा पर मासिक व्यय	2083	प्रमुख विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
6	ईंधन पर मासिक व्यय	8100	30 कि0मी0 प्रतिदिन (आना–जाना सहित) संचालन की दर से कुल 24 दिवस हेतु 720 कि0मी0 संचालन हेतु 8 कि0मी0 प्रति लीटर की माईलेज दर एवं ईंधन का मूल्य रू0 90 के आधार पर ईंधन पर मासिक व्यय की गणना की गयी है।
7	सी0सी0टी0वी0 कैमरे की स्थापना	250	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
8	वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) की स्थापना पर मासिक व्यय	133	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
9	वी0एल0टी0डी0 (Vehicle Location Tracking Device) के नवीनीकरण पर मासिक व्यय	300	स्कूल प्रबन्धनों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें, बाजार सर्वे एवं सम्बन्धित संगठनों से हुई वार्ता एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
10	परमिट पर व्यय	50	उत्तरखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी स्कूल वैन हेतु निर्धारित परमिट फीस के आधार पर।

11	फिटनेस पर व्यय	55.55	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में टैक्सी/मैक्सी वाहनों हेतु निर्धारित फिटनेस शुल्क के आधार पर।
12	अन्य व्यय	300	ऐसा कोई व्यय जो उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है, यथा–अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पार्किंग, टोल इत्यादि।
कुल मासिक व्यय		**39546.55**	

3– स्कूल वैन हेतु मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने के लिए स्कूल वैन के मासिक संचालन व्यय की गणना कर उसे प्रति सीट के आधार पर विभक्त करना आवश्यक है। इस आधार पर प्रत्येक छात्र–छात्रा पर व्यय किये जाने वाला मासिक संचालन व्यय ज्ञात किया जा सकता है तथा इसी आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी हेतु मासिक परिवहन शुल्क की गणना की जा सकती है। इसके लिए निजी स्कूल वैनों की औसत सीट की संख्या को आधार बनाया जाना उचित होगा। उपरोक्त प्रस्तर 2 पर आंकलित स्कूल वैन के मासिक औसत संचालन व्यय की गणना स्कूल वैन का औसत मूल्य रू0 7.00 लाख के आधार पर आंकलित किया गया है। उक्त मूल्य सीमा के अन्तर्गत बाजार में विभिन्न विनिर्माताओं की 8–12 सीटर वैन उपलब्ध है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एम0सी0 मेहता एवं अन्य बनाम भारत संघ में निर्देशित किया गया है कि स्कूल वाहन के रूप में संचालित होने वाले टैक्सी एवं अन्य वाहन में ले जाये जाने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या कुल अनुमन्य सीटिंग क्षमता के 1.5 गुना से अधिक नहीं होगी। अतः प्रति सीट मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु चालक को छोड़कर 11 सीटिंग क्षमता के आधार पर प्रतिसीट मासिक संचालन व्यय की गणना किये जाने पर समिति एकमत है। प्रतिसीट मासिक संचालन व्यय की गणना हेतु उपरोक्तानुसार आंकलित औसत मासिक संचालन को 11 सीट से विभक्त कर प्रति सीट औसत संचालन व्यय की गणना निम्नवत् की जाती हैः–

प्रतिसीट मासिक औसत संचालन व्यय = 39546.55/11 = 3595 रू0

4– तद्पश्चात् विद्यार्थियों से अनुरक्षण व्यय लिये जाने हेतु 0–5 कि0मी0, 5–10 कि0मी0, 10–20 कि0मी0 एवं 20 किमी0 से अधिक दूरी हेतु 04 स्लैब निर्धारित करते हुए, मासिक परिवहन शुल्क को मासिक अनुरक्षण व्यय के क्रमशः 60, 70, 85 एवं 125 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय में वृद्धि हेतु वाहन के ईंधन एवं अनुरक्षण व्यय पर वृद्धि, स्टाफ के वेतन पर व्यय में वृद्धि एवं शिक्षण संस्था वाहनों में औसत

छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय में वृद्धि हेतु सूत्र दिया गया है। उक्त प्रस्तावित सूत्र की सीमा यह है कि वार्षिक वृद्धि की गणना हेतु दिये गये आधार पर स्टाफ के वेतन आदि एवं बीमा ईंधन, सुरक्षा उपरकणों के व्यय पर हुई वृद्धि एवं एक स्कूल वैन में विद्यार्थियों की औसत संख्या ऐसे घटक है, जिसकी सटीक गणना किया जाना व्यवाहरिक रूप से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए स्टाफ के वेतन पर व्यय एव स्कूल वाहन में औसतन विद्यार्थियों की संख्या ऐसे घटक है, जिनका शिक्षण संस्था द्वारा अपने व्यवसायिक हितों के लिए अनुरक्षण व्यय में वृद्धि के लिए गणना में दुरूपयोग किया जा सकता है। अतः समिति उक्तानुसार निर्धारित मासिक अनुरक्षण व्यय में समय–समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यवसायिक सभी वाहनों के किराया निर्धारण के साथ–साथ शिक्षण संस्था वाहनों के संचालन/अनुरक्षण व्यय में भी वृद्धि किये जाने की संस्तुति करती है।

5– उपरोक्त तथ्यों/गणना एवं सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त यह समिति स्कूल वैन हेतु निम्न मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित करने की संस्तुति करती हैः–

निजी स्कूल वैन हेतु मासिक परिवहन शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु समिति की संस्तुति (प्रति छात्र)

क्र0 सं0	प्रत्येक छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिदिन संचालित किये जाने वाली दूरी (कि0मी0)	आंकलित मासिक संचालन व्यय (रू0) में	मसिक संचालन व्यय के सापेक्ष संस्तुत परिवहन शुल्क (प्रतिशत में)	संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क प्रति छात्र (रू0) में
1	2	3	4	5
1	1 से 5 तक	3595	60 प्रतिशत	2100
2	5 से 10 तक	3595	70 प्रतिशत	2500
3	10 से 20 तक	3595	85 प्रतिशत	3000
4	20 से अधिक	3595	100 प्रतिशत	3500

नोट–

1– संचालित दूरी में विद्यार्थियों की आने–जाने (To and From) की दूरी सम्मिलित है।

2– विद्यालय के मासिक बन्दी (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) की स्थिति में कुल संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क का 75 प्रतिशत धनराशि ही ली जायेगी।

3– यदि मासिक संचालन का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ता है, तो स्कूल प्रबन्धन को निर्धारित मासिक परिवहन शुल्क से 10 प्रतिशत अधिक मासिक परिवहन शुल्क अनुमन्य होगा।

4– स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल वैन से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में निर्धारित अधिकतम मासिक परिवहन शुल्क से अधिक शुल्क स्कूल वैन संचालक द्वारा नहीं लिया जायेगा।

5– किसी भी स्थिति में मासिक परिवहन शुल्क अग्रिम रूप से वसूल नहीं किया जायेगा।

6– स्कूल प्रबन्धन/स्कूल वैन संचालक द्वारा प्रतिमाह वसूल किये जाने वाले निर्धारित अधिकतम मासिक शुल्क की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह अभिभावकों/विद्यार्थियों को दिया जाना अनिवार्य होगा तथा मोटरयान यान विभाग/परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांग किये जाने की दशा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–05

श्री आनन्द यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव पता 66 म्युनिसिपल मार्केट, नवाबी रोड चौराहा, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी के प्रत्यावेदन दिनांक 21–11–2025 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री आनन्द यादव द्वारा दिनांक 21–11–2025 को एक प्रत्यावेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ''मेरी लाईसेंस संख्या–43/STA-UK/10-75/2019/2025 को निरस्तीकरण हेतु आदेश पारित किये गये थे। प्रार्थी उक्त पर अपना लाईसेनस चलाना चाहता है। प्रार्थी इस हेतु क्षमा याचना करता है प्रार्थी के प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए प्रार्थी को क्षमा प्रदान किया जाय। ताकि प्रार्थी अपना कारोबार का संचालन सुचारू रूप से कर सके तथा प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। भविष्य में प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की गलती की पुनरावृति नहीं की जायेगी।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी द्वारा सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के साथ श्री आनन्द यादव के संस्थान पर छापेमारी की गयी, जिसमें बिना पंजीयन के तथा एक ही नम्बर प्लेट दो वाहनों पर लगे होने तथा कतिपय निजी में पंजीकृत वाहनों का व्यवसायिक उपयोग पाया जाने पर पत्र संख्या–1673/सा0 प्रशा0/दो–2/25 दिनांक 08–05–2025 के माध्यम से श्री आनन्द यादव द्वारा लाईसेंस संख्या–43/एसटीए–यूके/10–75/2019/2025 की शर्तों का उल्लघंन पाया जाने पर लाईसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गयी। जिसके क्रम में लाईसेंस धारक को पत्र संख्या–2588/एसटीए/दस–75/2025 दिनांक 04–06–2025 के माध्यम से परमिट शर्तों के उल्लघंन के क्रम में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक 05–06–2025 को अपना स्पष्टीकरण दिया गया। तद्पश्चात् सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटरसाईकिल किराया योजना के प्रस्तर–11 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक/लाईसेंस धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 11–07–2025 की तिथि निर्धारित की गयी, किन्तु लाईंसेंस धारक उपस्थित नहीं हुये। तद्पश्चात् सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आलोक में मोटरसाईकिल किराया योजना के प्रस्तर–11 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत लाईसेंस संख्या–43/एसटीए–यूके/10–75/2019/2025 को निलम्बित किया गया। उपरोक्त आदेशों के क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र संख्या–369/कर पंजीयन/2026 दिनांक 21–01–2026 के द्वारा श्री आनन्द यादव को जारी लाईसेंस एवं 25 दुपहिया वाहनों को जारी परमिटों में 21 परमिट मूल रूप से जमा किये गये हैं शेष 04 परमिटों को वाहन प्रतिस्थापन हेतु पूर्व में जमा किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 के अन्तर्गत मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के प्रस्तर–11 में निम्न व्यवस्था है :–

11. Power of licensing authority to suspend or cancel the licence-

(1) The licensing authority shall, on being satisfied after giving the holder of the licence, an opportunity of being heard, that he has-

(i) failed to comply with te provisions of paragraph 8 or 9; or

(ii) failed to maintain the motor cycle in compliance with the provisions of the Act and rules; or

(iii) any one of his employees has misbehaved with customers; or

(iv) any complaint againt the lecences by any hirer has been proved beyond reasonable doubt, suspend the licence for specified period or cancel the licence.

(2) Where the licence is liable to be cancelled or suspended and the licensing authority is of opinion that having regard to the circumstances of the case, it would not be necessary or expedient to cancel or suspend the licence; if the holder of the licence agrees to pay the fine that may be imposed by the licensing authority, then notwithstanding anything contained in clause (1), the licensing authority may, instead of cancelling or suspending the licence as the case may be, recover from the holder of the licence, the said fine.

(3) For the purpose of recovery of the sum of money agreed upon, the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the amount recoverable for each day of suspension of the licence and specify the time within which the sum of money agreed upon is payable, failing which the orders passed under clause (1) shall be implemented.

(4) When the licence is suspended or cancelled under clause (1), the holder of the licence shall surrender the licence to the licensing authority.

प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–06

श्री महेश्वर प्रसाद निवासी–386/396 चुक्खुवाला, देहरादून एवं श्री जुगलकिशोर , निवासी–47 नींबुवाला एवं चुक्कुवाला, देहरादून द्वारा परमिट संख्या–UK/111/CC/MOTOR/2019/625-626-627-628-629 पर निरस्त करने हेतु देय विलम्ब शुल्क माफ किये जाने विषयक।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री महेश्वर प्रसाद एवं जुगल किशोर, निवासी–47 नींबुवाला एवं चुक्कुवाला, देहरादून के दिनांक रहित पत्र में उनके द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत दोपहिया वाहन (वाहन संख्या–UK07TB-6102, 6103, 6109, 6110, 6112) के परमिट संख्या–UK/111/CC/MOTOR/2019/625-626-627-628-629 जून, 2024 में समाप्त होने तथा उनकी शारीरिक अस्वस्था के कारण समय से परमिट सरेन्डर न कर पाने के दृष्टिगत परमिट पर लगे विलम्ब शुल्क माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री महेश्वर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री भगवती प्रसाद एवं श्री जुगल किशोर आहुजा पुत्र श्री रामस्वरूप आहुजा को मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत 05 दुपहिया वाहनों को परमिट जारी किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

Sr.No.	VEHICLE NO.	PERMIT NO.	VALIDITY
1	2	3	4
1	UK07TB6102	UK/111/CC/MOTOR/2019/628	13-Jun-2024
2	UK07TB6103	UK/111/CC/MOTOR/2019/626	13-Jun-2024
3	UK07TB6109	UK/111/CC/MOTOR/2019/625	13-Jun-2024
4	UK07TB6110	UK/111/CC/MOTOR/2019/629	13-Jun-2024
5	UK07TB6112	UK/111/CC/MOTOR/2019/627	13-Jun-2024

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 05–12–2011 के मद/संकल्प संख्या–18 में परमिट समाप्ति पर निम्नवत विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया हैः–

क्र0सं0	समाप्त परमिट विलम्ब से जमा करने की अवधि	निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	01 माह तक या उसके भाग के लिए	1000.00
2	01 से 06 माह तक या उसके भाग के लिए	2500.00
3	06 माह से 01 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	5000.00
4	01 वर्ष से अधिक के लिए	10000.00

उक्त वाहनों के परमिट की वैद्यता समाप्त हुये 06 माह से अधिक समय हो चुका है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा परमिट समाप्ति पर निर्धारित विलम्ब शुल्क के अनुसार उक्त 05 वाहनों के परमिटों पर प्रति परमिट रूपये–5000/– कुल रूपये–25000/– की विलम्ब शुल्क की देयता है, किन्तु उक्त विलम्ब की धनराशि पर प्राधिकरण के निर्णय के अधीन परमिटों को निरस्त किया गया है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–07

श्री अभिनव रस्तोगी पुत्र श्री संजीव रस्तोगी, 36 शक्ति विहार, कुमार स्वीट शॉप के पास, माजरा, देहरादून द्वारा मोटरकैब योजना, 1989 के अर्न्तगत मोटरकैब किराये पर देने हेतु लाईसेंस जारी करने विषयक।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मोटरकैब को उन व्यक्तियों को, जो अपने उपयोग के लिए मोटरकैब चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के व्यापार और उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमित करने के लिए ''रेन्ट ए कैब (स्कीम), 1989'' बनायी गयी है, जो दिनांक 01–07–1989 से प्रभावी है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु लोक एवं राज्यहित में रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989 को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 25–11–2022 के मद/संकल्प संख्या–08 में अंगीकृत करते हुये निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

''सम्यक् विचारोपरान्त रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989 को अंगीकृत किया जाता है एवं सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए, प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।''

श्री अभिनव रस्तोगी पुत्र श्री संजीव रस्तोगी, 36 शक्ति विहार, कुमार स्वीकट शॉप के पास, माजरा, देहरादून द्वारा मोटरकैब योजना, 1989 के अर्न्तगत मोटरकैब किराये पर दिये जाने हेतु लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10–06–2025 को दिया गया है। आवेदनकर्ता के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेखों का विवरण निम्नवत् हैं :–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
5(i)	That applicant has a good moral charater and has intimate knowledge of passenger transport business;	आवेदन ने उप जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 07.08.2021 को जारी किया गया चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि वे मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत विगत 06 वर्षों से व्यवसाय चला रहे हैं।
5(ii)	That the main office or the branch office of the applicant is either owned by the applicant or is taken on lease by him or is hired his name and it has adequate space for reception room, administrative section, clock	आवेदक द्वारा मुख्य कार्यालय के रूप में नार्थ ईस्ट कॉलोनी, जाखन का पता दिया गया है। उक्त स्थल के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा श्रीमती सरिता रानी केयर ऑफ श्री संजीव कुमार निवासी–जाखन नियर दून

	room with locker facilities, sanitary blocks, [adequate parking space] for the motor cabs;	विहार, राजपुर रोड़, देहरादून के साथ किरायानामा संलग्न किया गया है तथा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल 1400 वर्ग फीट का है जहॉ पर स्वागत कक्ष एवं पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है।
5(iii)	That the applicant has necessary facilities for the housing, maintencance and repair of his vehicles;	आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सूरज पुत्र श्री हीरा बहादुर, निवासी–जे–31, पर्वतीय कैम्प सैक्टर–4, आरकेपुरम, साउथ वैस्ट दिल्ली द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे श्री अभिनव रस्तोगी के यहॉ चार पहिया वाहनों की देखरेख व मैकेनिक का कार्य करता है तथा उन्हें मैकेनिक के कार्य का 05 वर्ष का अनुभव है।
5(iv)	That the applicant has at least one telephone which is accessible throughout day and night;	आवेदक द्वारा मोबाइल नं0 7017203703 का उल्लेख किया गया है।
5(v)	That the applicant has [branch offices or sub licensee offices] with telephones, in not less than 5 cities of tourist importance with facilities for housing, maintenance and repair of vehicles;	इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
5(vi)	That the financial resources of the applicant are sufficient to provide for the continued maintenance of motor cabs and for the continued maintenance of motor cabs and for the efficient management of the establishment;	आवेदक द्वारा वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में अपने ओवदन पत्र में अवगत कराया गया है कि ऋण एवं बचत से किया जाएगा।
5(vii)	That the applicant maintains not less than 50 motor cabs of which 50 per cent. are air-conditiioned duly covered by permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Act, with comprehensive insurance, fitness certificate, motor vehicles tax paid up to date: Provided that in the case of licence for a branch office situated in a place outside the jurisdication of the licensing authority, it shallbe sufficient, if such branch office maintains not less than five motor cabs.	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में 05 मोटर कैब को लाईसेंस दिये जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त योजना के अन्तर्गत कम से कम 50 वाहन होने आवश्यक हैं।

उल्लेखनीय है कि रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989 के प्रस्तर–5 में आवेदन की Scrutiny के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

5. Scrutiny of application. -A licensing authority shall, before granting or renewing a licence take into consideration the following namely: -

(i) That applicant has a good moral charater and has intimate knowledge of passenger transport business;

(ii) That the main office or the branch office of the applicant is either owned by the applicant or is taken on lease by him or is hired his name and it has ade quate space for reception room, administrative section, clock room with locker facilities, sanitary blocks, [adequate parking space] for the motor cabs;

(iii) That the applicant has necessary facilities for the housing, maintencance and repair of his vehicles;

(iv) That the applicant has at least one telephone which is accessible throughout day and night;

(v) That the applicant has [branch offices or sub licensee offices] with telephones, in not less than 5 cities of tourist importance with facilities for housing, maintenance and repair of vehicles;

(vi) That the financial resources of the applicant are sufficient to provide for the continued maintenance of motor cabs and for the continued maintenance of motor cabs and for the efficient management of the establishment;

(vii) That the applicant maintains not less than 50 motor cabs of which 50 per cent. are air-conditiioned duly covered by permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Act, with comprehensive insurance, fitness certificate, motor vehicles tax paid up to date:

Provided that in the case of licence for a branch office situated in a place outside the jurisdication of the licensing authority, it shallbe sufficient, if such branch office maintains not less than five motor cabs."

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–08(1)

मै0 न्यू श्रीराम ट्रैवल्स U/C श्री मुकेश जोशी एवं श्रीमती कविता जोशी, नथुवावाला, देहरादून के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 20–12–2024 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 न्यू श्रीराम ट्रैवल्स U/C श्री मुकेश जोशी एवं श्रीमती कविता जोशी, नथुवावाला, देहरादून के द्वारा चौपहिया वाहनों के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20–12–2024 को दिया गया है। आवेदनकर्ता के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैं :–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
नियम 4 (अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन)	1–नियम–6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा। 2–नियम–18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति बैंक गारन्टी के रूप में होगी।	1– दिनांक 20.12.2024 को आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से चौपहिया वाहनों (50 बस अथवा 200 अन्य वाहन तक) के संचालन हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी रूपये 25000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट संख्या–073037 प्रेषित किया गया है, जिसे पत्र संख्या–07 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय को राजकीय कोष में जमा कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 07.12.2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की सावधि खाता (Fixed Deposit) संख्या– 82740300002989 संलग्न की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 07.06. 2030 तक है।
	(2) जहॉ आवेदन के कारबार के रूप में मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिकता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगे:	आवेदक द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 20.12.2024 द्वारा अपने आवेदन पत्र में मुख्य कार्यालय के रूप में ग्राम व पोस्ट–नथुवावाला, निकट हिल क्वीन स्कूल नथुवावाला, देहरादून, उत्तराखण्ड का पता दिया गया है।

नियम 5 (आवेदन की संवीक्षा)	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;	फर्म निबन्धंक उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 09.09.2010 की प्रति एवं भारत सरकार द्वारा जारी GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–05AAJFN6125E1ZI की प्रति संलग्न।
	(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यकता पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्ग दर्शक सिद्वान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है।	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 06.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि न्यू श्रीराम ट्रेवल्स डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करेगा।
	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु उक्त सेवायें देने का आशय रखता हो;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 06.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक है शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा।
	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करायेगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा ;	
	(पॉच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा फार्म–1 में स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री मुकेश जोशी (स्वयं), मो0 9870995956, ई–मेल mj732411@gmail.com एवं www.rambus.in का उल्लेख किया गया है।
	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य ठेका वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	इनके द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र दिनांक 06.12.2024 के बिन्दु संख्या–6 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम पच्चीस परमिट धारकों के साथ डिजिटल करार/लिखित रूप से फ्लीट का संधारण करेगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 38 वाहनों की सूची वाहन संख्या के साथ उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु परमिट धारकों के साथ डिजिटल करार की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही वाहन स्वामी का नाम एवं परमिट संख्या उपलब्ध करायी गयी है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–08(2)

मै0 पहाड़ीएक्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड U/C श्री गोपाल सिंह गरबयाल एवं सुश्री माधुरी गारबयाल, घटधार, धारचूला पिथौरागढ़ के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 20–09–2025 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 न्यू श्रीराम ट्रैवल्स U/C श्री मुकेश जोशी एवं श्रीमती कविता जोशी, नथुवावाला, देहरादून के द्वारा चौपहिया वाहनों के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20–09–2025 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
नियम 4 (अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन)	1–नियम–6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा। 2–नियम–18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति बैंक गारन्टी के रूप में होगी।	1– दिनांक 20.09.2025 को आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.09.2025 के माध्यम से चौपहिया वाहनों (200 कार) के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 25000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट संख्या–923046 उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 19.09.2025 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की बैंक गारण्टी (Bank Guarantee) संख्या–0063025BG0B00104 संलग्न की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 29.03.2031 तक है।
	(2) जहॉ आवेदन के कारबार के रूप में मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिकता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगेः	आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2025 में मुख्य कार्यालय के रूप में घटधार, धारचूला, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड का पता दिया गया है।

नियम 5 (आवेदन की संवीक्षा)	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;	Ministry of corporate affairs भारत सरकार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) दिनांक 24.07.2025 की प्रति एवं GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या– 05AAPCP9997H1ZG की प्रति संलग्न।
	(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यकता पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्ग दर्शक सिद्वान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है।	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 19.09.2025 में उल्लेख किया गया है कि पहाड़ीएक्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करेगा।
	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु उक्त सेवायें देने का आशय रखता हो;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 19.09.2025 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक है शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा।
	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करायेगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा ;	
	(पॉच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री गोपाल सिंह गबरयाल एवं सुश्री माधुरी गाबरयाल (स्वयं), मो0 9456559039, ई–मेल pahadixsolutions@gmail.com का उल्लेख किया गया है।
	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य ठेका वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	इनके द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र दिनांक 19.09.2025 के बिन्दु संख्या–5 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस मोटर कैब के वैयक्तिक परमिट धारको के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करेंगे। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 15 वाहनों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु परमिट धारकों के साथ हुये डिजिटल करार की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–08(3)

मै0 ग्रीन सैल प्राइवेट लिमिटेड, निकट सत्यनारायण मंदिर, मौहब्बेवाला, देहरादून के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत चौपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के प्रत्यावेदन दिनांक 26–11–2025 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री चन्द्र शेखर पांडेय, फ्लीट मैनेजर, मै0 ग्रीन सैल प्राइवेट लिमिटेड, निकट सत्यनारायण मंदिर, मौहब्बेवाला, देहरादून के द्वारा चौपहिया वाहनों के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26–11–2025 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैं:–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
नियम 4 (अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन)	1–नियम–6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा। 2–नियम–18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति यथा बैंक गारन्टी, सावधि जमा आदि के रूप में होगी।	1– दिनांक 26.11.2025 को आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से चौपहिया वाहनों (50 इलैक्ट्रिक बसों) के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 25000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट संख्या–074041 उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25.11.2025 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की सावधि जाम (Fixed Deposit) संख्या–4674390030 संलग्न की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 25.11.2026 तक है।
	(2) जहॉ आवेदन के कारबार के रूप में मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिकता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगे:	आवेदक श्री चन्द्रशेखर पाण्डे, वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रीन सैल एक्सप्रेस प्रा0लि0 द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2025 में मुख्य कार्यालय के रूप में प्रोपर्टी नं0–158, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 का पता दिया गया है।
नियम 5 (आवेदन की संवीक्षा)	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा	Ministry of corporate affairs भारत सरकार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) संख्या–U60232MH2021PTC362198 की प्रति एवं GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–05AAJCG0837H1ZQ की प्रति संलग्न।

	गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;	
	(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यकता पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्ग दर्शक सिद्वान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है।	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 26.11.2025 में उल्लेख किया गया है कि ग्रीन सैल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करेगा।
	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु उक्त सेवायें देने का आशय रखता हो;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 26.11.2025 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक है शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा।
	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करायेगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा ;	
	(पॉच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री होशियार सिंह, ऑपरेशन मेनेजर, मो0 9997010003, ई–मेल hsingh2@greencellmobility.com, ग्रीन सैल एक्सप्रेस प्रा0लि0, निकट सत्यनारायण मंदिर मोहब्बेवाला, देहरादून का उल्लेख किया गया है।
	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य ठेका वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	इनके द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र दिनांक 26.11.2025 के बिन्दु संख्या–5 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस मोटर कैब के वैयक्तिक परमिट धारको के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करेंगे। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 92 वाहनों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु वाहन स्वामी का नाम एवं परमिट संख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–08(4)

M/S TAPITO BIKE TAXI Pvt. Ltd., 12, पता कमलेश्वर मार्ग, निकट आईटीआई कॉलेज, भटवाड़ी, उत्तरकाशी के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांकरहित प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि M/S TAPITO BIKE TAXI Pvt. Ltd., 12, द्वारा श्री सचिन राजवार पता कमलेश्वर मार्ग, निकट आईटीआई कॉलेज, भटवाड़ी, उत्तरकाशी के द्वारा दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
नियम 4 (अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन)	1–नियम–6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा। 2–नियम–18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति बैंक गारन्टी के रूप में होगी।	1– दिनांक रहित आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों (500 से अनधिक) के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 2500/– (रू0 पच्चीस सौ मात्र) का ड्राफ्ट संख्या–355483 उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.01.2026 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 2500/–(रूपये पच्चीस सौ मात्र) की सावधि जाम (Fixed Deposit) संख्या–44852093523 संलग्न की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 22.01.2031 तक है।
	(2) जहॉ आवेदन के कारबार के रूप में मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिकता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगेः	आवेदक द्वारा अपने दिनांक रहित आवेदन पत्र में मुख्य कार्यालय के रूप में 12, कमलेश्वर मार्ग, निकट आईटीआई कॉलेज, भटवाड़ी, उत्तरकाशी का पता दिया गया है।
नियम 5 (आवेदन की संवीक्षा)	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत	Ministry of corporate affairs भारत सरकार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) संख्या–U4922UT2025PTC019799 दिनांक 26.08.2025 की प्रति एवं GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–05AAMCT2008C1ZT की प्रति संलग्न की गयी है।

	सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;	
	(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यकता पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्ग दर्शक सिद्वान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है।	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 24.01.2026 में उल्लेख किया गया है कि M/S TAPITO BIKE TAXI Pvt. Ltd. डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करेगा।
	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु उक्त सेवायें देने का आशय रखता हो;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 24.01.2026 में उल्लेख किया गया है कि सेवा प्रदान करने की तिथि से आवेदक ग्राहक और डिलीवरी हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु शपथकर्ता सेवाएँ देने का आशय करेंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक फोन के एप्लिकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो की यात्रा आरम्भ और समाप्ति तक कार्यशील रहेगा।
	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करायेगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा ;	
	(पॉच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सचिन राजवर, मो0 7618618546, ई–मेल sachinrajwar018@gmail.com का उल्लेख किया गया है।
	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य ठेका वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	इनके द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र दिनांक 24.01.2026 के बिन्दु संख्या–6 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम 50 दोपहिया व तिपहिया वाहन के वैयक्तिक परमिट धारको के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा वाहनों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही परमिट धारकों के साथ डिजिटल करार की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–08(5)

मै0 मानसकेदार प्राइवेट लिमिटेड, 94 त्यागी रोड़, एमडीडीए, देहरादून, उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांकरहित प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 मानसकेदार प्राइवेट लिमिटेड, 94 त्यागी रोड़, एमडीडीए, देहरादून, उत्तराखण्ड के द्वारा दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैं:–

नियम	अपेक्षाएं	आख्या
नियम 4 (अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन)	1–नियम–6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा। 2–नियम–18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति बैंक गारन्टी के रूप में होगी।	1– दिनांक 03.12.2025 को आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों (500 से अनधिक) के संचालन हेतु केनरा बैंक द्वारा जारी रूपये 2500/– (रू0 पच्चीस सौ मात्र) का ड्राफ्ट संख्या–039771 उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 03.12.2025 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रूपये 2500/– (रूपये पच्चीस सौ मात्र) की सावधि जाम (Fixed Deposit) संख्या–0838488 संलग्न की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 03.12.2030 तक है।
	(2) जहॉ आवेदन के कारबार के रूप में मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिकता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगे:	आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2025 में मुख्य कार्यालय के रूप में 94 त्यागी रोग, एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 का पता दिया गया है।
नियम 5 (आवेदन की संवीक्षा)	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व	Ministry of corporate affairs भारत सरकार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) संख्या–U49224UT2025PTC019553 दिनांक 16.07.2025 की प्रति एवं GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या– 05AATCM603B1ZS की प्रति संलग्न।

	साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;	
	(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यकता पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्ग दर्शक सिद्वान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है।	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 03.12.2025 में उल्लेख किया गया है कि मै0 मानसकेदार प्राइवेट लिमिटेड डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करेगा।
	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु उक्त सेवायें देने का आशय रखता हो;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 03.12.2025 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक ग्राहक और डिलीवरी हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा, जिस हेतु शपथकर्ता सेवाएँ देने का आशय करेंगे।
	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करायेगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा ;	इसके अतिरिक्त आवेदक फोन के अप्लिकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो की यात्रा आरम्भ और समाप्ति तक कार्यशील रहेगा।
	(पॉच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है;	इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती रेनू जोशी, मो0 9411288548, 9897559092 ई–मेल rydooocontact@gmail.com, renujoshipan@gmail.com का उल्लेख किया गया है।
	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य ठेका वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	इनके द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र दिनांक 03.12.2025 के बिन्दु संख्या–5 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम 25 दोपहिया व तिपहिया वाहन के वैयक्तिक परमिट धारको के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करेंगे। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 25 वाहनों की सूची (वाहन स्वामी एवं वाहन का पंजीयन नम्बर सहित) उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु परमिट धारकों के साथ डिजिटल करार की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है एवं न ही वाहनों की परमिट संख्या उपलब्ध करायी गयी है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–09

श्री दीप चन्द्र पांडे, बी–54, जेके पुरम बी ब्लॉक, मुखानी, हल्द्वानी के ई–मेल पत्र दिनांक 23.11.2025 का प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री दीप चन्द्र पांडे, बी–54, जेके पुरम बी ब्लॉक, मुखानी, हल्द्वानी के ई–मेल पत्र दिनांक 23.11.2025 में निम्नवत अवगत कराया गया हैः–

''नवंबर 2024 में हिटोहिट को STA द्वारा एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया था। लगभग एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, हल्द्वानी क्षेत्र में मौजूदा पारंपरिक मार्ग प्रणाली के कारण हम अभी तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाए हैं।

इस सम्बन्ध में STA द्वारा RTA हल्द्वानी को सूचित किया गया कि हिटोहिट के पास एग्रीगेटर लाईसेंस है और वे अनुमति हेतु प्रयास करें। परंतु केवल एक सूचना थी, कोई समाधान नहीं। RTA हल्द्वानी ने जवाब दिया कि बिना RTA बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिए अनुमति देना संभव नहीं है। इस बीच, RTA अध्यक्ष महोदय ने जनता दरबार में मौखिक रूप से इजाजत देने से इनकार कर दिया है।

यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय हैः

- STA द्वारा जारी एग्रीगेटर लाइसेंस का मूल्य RTA द्वारा लागू पुरानी मार्ग प्रणाली के कारण शून्य हो रहा है।
- न्यायालयों द्वारा ''व्यापार करने के अधिकार'' को मौलिक अधिकार माना गया है, और यहाँ एक वैध लाइसेंसधारी संस्था को अनिश्चितकाल के लिए रोकना संभवतः इस अधिकार का हनन है।
- क्या STA की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह RTA के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले ?
  वहीं दूसरी और रैपिडो बिना किसी अनुमति के हल्द्वानी में नियमों की परवाह किए बिना सेवाएं संचालित कर रहा है, जिससे एक अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बन रहा है।
  समाधान क्या है?
- क्या वह STA और RTA के बीच समन्वय का अभाव है ?
- क्या न्यायालय का हस्तक्षेप ही एकमात्र रास्ता रह गया है ?

उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि STA और RTA हल्द्वानी को केवल सूचना भेजने के बजाय एक स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किया जाए, ताकि हल्द्वानी में हिटोहिट को कम से कम 500–1000 ऑटो संचालित करने की अनुमति मिल सके। इससे बुजुर्गों, महिलाओं व पर्यटकों को सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध हो सकेगी।''

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हीटोहिट सोल्यूशन ओ0पी0सी0 प्रा0लि0 U/C श्री दीप चन्द्र पाण्डे को उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेकागाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 यथा संशोधित, 2024 में विहित व्यवस्थानुसार दुपहिया/तिपहिया वाहनों के संचालन हेतु एग्रीगेटर लाईसेंस संख्या–04/UK-STA/2024 एवं चौपहिया वाहनों के संचालन हेतु लाईसेंस संख्या–05/UK-STA/2024 जारी किया गया है। उक्त लाईसेंस दिनांक 5.11.2029 तक वैध हैं।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–10(1)

श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रविकान्त गर्ग निकट पुल नं0–1, डॉक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून का प्रत्यावेदन दिनांक 17–11–2025 एवं श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रविकान्त गर्ग निकट पुल नं0–1, डॉक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 17–11–2025 एवं श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ''परमिट नवीनीकरण के समय विभाग द्वारा चालान रिपोर्ट मांगी जाती है, जो कि अनुचित है। क्योंकि वर्तमान में सभी चालान ई–प्रणाली द्वारा किये जा रहे हैं, जो कि परिवहन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिस कारण विभाग द्वारा चालान रिपोर्ट मंगाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त के अतिरिक्त परमिट शर्तों के उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा परमिट नवीनीकरण के समय शास्ति टैक्सी/मैक्सी की दशा में रू0–500 प्रति चालान एवं बस की दशा में रू0–1000 प्रति चालान वसूली जाती है। इस बावत यह स्पष्ट नहीं है कि परमिट शर्तों के उल्लघंन पर यह शास्ति केवल उत्तराखण्ड राज्य के चालानों

पर वसूल की जायेगी या अन्य प्रदेशों में हुये चालानों पर भी वसूल की जायेगी। अन्य प्रदेशों में हुये चालानों पर शास्ति वसूल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। यह शास्ति केवल उत्तराखण्ड राज्य में हुये चालानों पर ही वसूल की जानी उचित है।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद/संकल्प संख्या–10 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के परमिट शर्तों के उल्लघंन के विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन की धनराशि निम्न प्रकार से निर्धारित की गयी है :–

क्रमांक	अभियोग	वाहन श्रेणी	शमन धनराशि
1 2	ओवरलोडिंग	1– टैक्सी (मोटर कैब) 2– मैक्सी कैब	रू0–1000/– सीटिंग क्षमता से अधिक ढोई जाने वाली ओवर लोडिंग प्रति संवारी अधिकतम रू0–5000/–
		3– कान्ट्रैक्ट कैरिज 4– टूरिस्ट वाहन 5– स्टैज कैरिज	रू0–1000/– सीटिंग क्षमता से अधिक ढोई जाने वाली ओवर लोडिंग प्रति संवारी अधिकतम रू0–10,000/–
3	मार्ग/क्षेत्र एवं उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लघंन	1– टैक्सी/मोटर कैब 2– मैक्सी कैब	रू0 5,000/– प्रति अभियोग।
		3– कान्ट्रैक्ट कैरिज 4– टूरिस्ट वाहन 5– स्टैज कैरिज	रू0 10,000/– प्रति अभियोग।
4	अन्य परमिट शर्तों का उल्लघंन	1– टैक्सी/मोटर कैब 2– मैक्सी कैब	रू0 500.00/– प्रति अभियोग।
		3– कान्ट्रैक्ट कैरिज 4– टूरिस्ट वाहन 5– स्टैज कैरिज	रू0 1,000/– प्रति अभियोग।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 के अन्य मद/संकल्प संख्या–15(2) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

''प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि देहरादून– विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के नवीनीकरण के प्राधिकरण के विचाराधीन लम्बित स्थायी गाड़ी परमिट संख्या पीएसटीपी–1283, 1293, 1321, 1344, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1449, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1468, 1469, 1470, 1474, 1481, 1487, 1488, 1489, 1491, 1653 एवं 1654 का नवीनीकरण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थान पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग (उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग को छोड़कर) पर उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। विगत् पाँच वर्षों में हुए चालानों का संज्ञान लेते हुए चालान पाये जाने की दशा में प्रति चालान रू0 1,000–00 प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है। स्वीकृत नवीनीकरण वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 02 माह के अन्दर प्राप्त कर लिये जांय। अन्यथा स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01–10–2024 का अनुपूरक संकल्प संख्या–03 में निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

''राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2001 एवं 28–02–2009 का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिटों के नवीनीकरण के समय केवल परिमट शर्तो के उल्लंघन पर किये गये चालानों का ही संज्ञान लिया जाय।''

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–82(3) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार परमिट का नवीनीकरण के समय निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार किये जाने की व्यवस्था है :–

''(3) परमिट का नवीकरण करते समय परिवहन प्राधिकारी परिवहन यान की वर्तमान यांत्रिक स्थिति और पूर्ववर्ती पांच वर्षों में ऐसे यान के दुर्घटनाओं तथा चालान के अभिलेखों को ध्यान में रखेगा।''

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–10(2)

श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री प्रवीण चावला, सचिव, दून ट्रैवल ऑनर्स ऐसोसिएशन (रजि0), देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 05–12–2025 में अवगत कराया गया है कि अधिकार पत्र नवीनीकरण हर साल होता है और यदि इसको नवीनीकरण करने में एक महीने के उपरान्त विलम्ब शुल्क के रूप में रूपये 1000 लिए जाते हैं, जिस अधिकार पत्र की पूरे साल की फीस रू0 500 है उस पर विलम्ब शुल्क 1000 उचित नहीं है, उनके द्वारा उपरोक्त विलम्ब शुल्क को जनहित में समाप्त करने हेतु निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05–12–2011 के अन्य संकल्प संख्या–19(1) प्राधिकरण द्वारा में निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

''जिन परमिट धारकों द्वारा अपने समस्त भारतवर्ष के पर्यटक परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण समय से नहीं किया जाता है, ऐसे अनधिकृत रूप से संचालित परमिटों के अधिकार पत्रों पर देय प्रशमन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की जाती है :–

क्र0सं0	विलम्ब की अवधि	निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	01 माह तक या उसके भाग के लिए	–
2	01 माह के पश्चात् 01 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	1000.00
3	02 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	2000.00
4	03 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	3000.00
5	04 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	4000.00

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहे।

मद संख्या–11

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर एवं सहबद्ध मार्ग के मंजिली गाडी परमिट हेतु स्वयंमेव प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर एवं सहबद्ध मार्ग पर मंजिली गाडी परमिट हेतु स्वंयमेव निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुये :–

क. सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का नाम	पता	अभिलेख जो आवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं
1	30–08–2023	श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार	निवासी 241 ब्रहमपुरी, मुजफ्फरनगर हाल निवासी इम्पीरियल ट्रान्सपोर्ट 6 गॉधीरोड़, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655495 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।
2	30–08–2023	श्री धर्म सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री रेलु सिंह	निवासी 147 मेहूवााला माफी, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655487 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।
3	30–08–2023	श्री सिद्धान्त राणा पुत्र श्री धर्मसिंह राणा	निवासी 147 मेहूवाला माफी, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655490 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट प्रति समय सारिणी संलग्न नहीं है।
4	30–08–2023	श्रीमती शालू राणा पत्नी श्री धर्म सिंह राणा	निवासी 147 मेहूवाला माफी, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655488 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन प्रमाण पत्र समय सारिणी संलग्न नहीं है।
5	30–08–2023	श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी0एल0 डोभाल	निवासी 297/2 बसन्त विहार, निकट लवली मार्केट पड़ितवाडी, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655494 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।

6	30–08–2023	श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता	निवासी 54 ई0सी0 रोड़, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655491 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।
7	30–08–2023	श्री विवेक कुमार टन्डन पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद	निवासी 8/191 बाईपास रोड, सेगविक पब्लिक स्कूल के सामने विकासनगर, देहरादून।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655492 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।
8	30–08–2023	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री कर्ण सिंह	निवासी ग्राम मोहमदपुर जट, ग्राम गुरूकुल नारसन, हरिद्वार।	आवेदन शुल्क एवं कोर्ट फीस रसीद संख्या–655493 दिनांक 30–08–2023 कुल रू0–700.00, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड समय सारिणी संलग्न नहीं है।
9	20–01–2024	श्री मनीष सोनकर पुत्र स्व0 श्री श्रवण सोनकर	निवासी 119, कांवली रोड, शिवाजी मार्ग, देहरादून	रू0 200 कोर्ट फीस टिकट, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आवेदन शुल्क रू0.500 जमा नहीं है। समय सारिणी संलग्न नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर एवं सहबद्ध मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं। इस मार्ग की कुल दूरी 206 कि0मी0 है और मार्ग का 162 कि0मी0 उत्तराखण्ड राज्य में तथा 44 कि0मी0 मार्ग भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) एवं (6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अधिसूचना संख्या–337/2018/30/ix/2007 दिनांक 14–11–2018 के माध्यम से पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न हुआ है, जिसमें इस मार्ग पर करार में 81 फेरों के स्थान पर 52 एकल फेरे एवं परमिटों की संख्या–89 के स्थान पर 116 परमिट संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य से अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–70 के अन्तर्गत स्टैज कैरिज परमिट हेतु आवेदन किये जाने की व्यवस्था निम्नवत है :–

70. Application for stage carriage permit.*—(1) An application for a permit in respect of a stage carriage (in this Chapter referred to as a stage carriage permit) or as a reserve stage carriage shall, as far as may be, contain the following particulars, namely:—*

(a) the route or routes or the area or areas to which the application relates;
(b) the type and seating capacity of each such vehicle;
(c) the minimum and maximum number of daily trips proposed to be provided and the time-table of the normal trips.
Explanation.—For the purposes of this section, section 72, section 80 and section 102, "trip" means a single journey from one point to another, and every return journey shall be deemed to be a separate trip;
(d) the number of vehicles intended to be kept in reserve to maintain the service and to provide for special occasions;
(e) the arrangements intended to be made for the housing, maintenance and repair of the vehicles, for the comfort and convenience of passengers and for the storage and safe custody of luggage;
(f) such other matters as may be prescribed.

(2) An application referred to in sub-section (1) shall be accompanied by such documents as may be prescribed.

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

अन्य मद संख्या–12

अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।